

Govt. Kamla Raja Girls Post Graduate Autonomous College

(Affiliated to Jiwaji University, Gwalior)

Kampoo, Gwalior (Madhya Pradesh) INDIA

Telephone : 0751- 2625495, 0751 – 2438173, Fax : 0751 – 2438173

e-mail : krgc@rediffmail.com Website : www.krgcgwalior.org

NAAC 'A' GRADE INSTITUTION



INFORMATION BULETIN

2019-2020

महाविद्यालय शैक्षणिक क्षेत्र

1. दृष्टि, ध्येय एवं बुनियादी मूल्य
2. महाविद्यालय का परिचय
3. महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें
 - ✓ अधोसंरचनात्मक सुविधायें
 - ✓ शिक्षण पद्धतियां
 - ✓ शिक्षण साधन
 - ✓ आई.टी. संबंधी सुविधायें
 - ✓ पुस्तकालय
 - ✓ क्रीड़ा
 - ✓ छात्रावास
 - ✓ काउंसिलिंग एवं मेंटरिंग
 - ✓ गैर शैक्षणोत्तर सुविधायें
 - ✓ प्रोत्साहन एवं पुरस्कार
4. महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं उनमें उपलब्ध स्थान
 - ✓ नियमित पाठ्यक्रम
 - ✓ स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
 - ✓ शार्ट टर्म कोर्सेस
 - ✓ पीएच.डी. उपाधि पाठ्यक्रम
5. प्रवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत
6. प्रवेश प्रक्रिया समय-सारिणी
7. सेमेस्टर परीक्षा पद्धति
8. वार्षिक परीक्षा पद्धति
9. शोध उपाधि प्रवेश नियम
10. प्रवेश शुल्क विवरण
11. कैलेंडर (अकादमिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा कैलेंडर)
12. छात्र कल्याणकारी शासकीय योजनायें
 - ✓ छात्रवृत्ति
 - ✓ मेधावी छात्रा योजना
 - ✓ निर्धन विद्यार्थी सहायता
 - ✓ रेल्वे कन्सेशन
 - ✓ उच्च शिक्षा ऋण योजना
13. भविष्य की योजना
14. महाविद्यालय की भौगोलिक संरचना

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय :

शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर नगर के महत्वपूर्ण दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व 1937 ई. में स्थापित इस संस्थान का स्थान अपनी अकादमिक उपलब्धियों, विशाल हरा-भरा परिसर, समृद्ध परंपरायें एवं वित्तीय समृद्धि के कारण ग्वालियर-चंबल प्रक्षेत्र एवं मध्यप्रदेश ही नहीं अपितु उत्तर भारत के ख्यातिनाम महाविद्यालयों में है। यह महाविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संबद्ध होकर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की 2 एफ-12 बी की योजना, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान है।

महाविद्यालय के दीर्घकालीन उपलब्धियों एवं इसके अकादमिक प्रसार को देखते हुये 1995 ई. में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नईदिल्ली तथा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्वशासी व्यवस्था का लाभ क्षेत्र की छात्राओं को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस महाविद्यालय द्वारा विगत बीस वर्षों में कई नवीन पाठ्यक्रमों का संचालन स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है और यही कारण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस महाविद्यालय को 2022 ई. तक के लिये स्वशासी की मान्यता प्रदान कर दी है। यू.जी.सी. द्वारा महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले अन्य अनुदानों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष बीस लाख रु. स्वशासी व्यवस्था को संचालित करने के लिये भी प्रदान किये जाते हैं। इस महाविद्यालय की अकादमिक, सह-अकादमिक एवं गैर-अकादमिक उपलब्धियों को राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद, बंगलुरु द्वारा मान्यता प्रदान करते हुये वर्ष 2002 एवं 2010 में 'बी' ग्रेड तथा वर्ष 2016 ई. में 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है।

इस महाविद्यालय द्वारा महिला शिक्षा के प्रसार के लिये उच्च शिक्षा के विभिन्न उभरते हुये क्षेत्रों में अकादमिक, शोध एवं विस्तार गतिविधियों की प्रगति को अपना प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है। यह संस्था कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंध, कंप्यूटर साइंस, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गृहविज्ञान तथा विधि संकायों से संबंधित 28 विषयों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रही है। महाविद्यालय में बीस स्नातकोत्तर विभाग, इक्कीस स्नातक विभाग, आठ स्ववित्तीय योजनान्तर्गत विभाग/विषय संचालित हैं। इन विभागों के माध्यम से संचालित लगभग साठ से अधिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में दस हजार से भी अधिक छात्राएँ

यहां अध्ययन कर रही है। इसीप्रकार 15 शोध केन्द्रों पर विभिन्न विषयों में तीन सौ से भी अधिक शोधार्थी शोध कार्यों में संलग्न है। इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये 112 योग्य एवं नियमित शिक्षक तथा 55 अतिथि विद्वान अपनी सेवायें दे रहे हैं। महाविद्यालय में कंप्यूटर साईंस में स्नातकोत्तर स्तर का डिप्लोमा तथा दस विषयों में शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित किये जा रहे हैं। महाविद्यालय के उर्दू विभाग, चित्रकला विभाग, संगीत विभाग तथा गृहविज्ञान विभाग इस अंचल में अपने प्रकार के विशिष्ट विभागों में गिने जाते हैं। महाविद्यालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय तथा बीस स्नातकोत्तर विभागों में विभागीय पुस्तकालयों के अलावा एक ई-लायब्रेरी छात्राओं को उनके पाठ्यक्रमों के अध्यापन के लिये उच्च स्तर की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराती है। गैर-अकादमिक सुविधाओं में एन.सी.सी. की दो कंपनियां, एन.एस.एस. की तीन ईकाईयां संचालित हैं, जो विभिन्न सामाजिक विषयों एडस्, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि पर युवाओं के नैतिक उत्थान के लिये न केवल उत्कृष्ट व्याख्यानों का आयोजन कराती हैं, अपितु कई विस्तार कार्यक्रमों को संपादित करती है।

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति एवं स्वशासी व्यवस्था के माध्यम से महाविद्यालय में सर्वांगीण विकास कार्य एवं संसाधनों में वृद्धि के कार्य उत्तरोत्तर संपादित हो रहे हैं। इन कार्यों में महाविद्यालय में नवीन भवनों का निर्माण, बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी. ए., बी.ए.एल.एल.बी. जैसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तथा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइंफोर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री, इलैक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों का संचालन, वोकेशनल एवं कौशल विकास संबंधी कोर्सेस का 28 विषयों का समूह, जिम्नेजियम का निर्माण, स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से प्लेसमेंट, व्यक्तित्व विकास एवं काउंसिलिंग आदि का संचालन आदि महत्वपूर्ण हैं। महाविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अपने ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार एवं कार्यशालाओं में सहभागिता की जाती है और उनके द्वारा किये जाने वाले शोध कार्यों का प्रकाशन भी स्थापित शोध पत्रिकाओं में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा पाठ्यक्रमों के अनुसार पुस्तकों का भी प्रकाशन कराया जाता है। अस्सी वर्ष पुराने इस उच्च शिक्षण संस्थान ने लाखों की संख्या में क्षेत्र की बालिकाओं का को बेहतर भविष्य का राह दिखाई है। महाविद्यालय की महत्वपूर्ण पूर्व छात्रायें आज समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, सरकार में, वित्त क्षेत्र, अकादमिक, व्यावसायिक, राजनीति, पत्रकारिता, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आदि क्षेत्रों में अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में महाविद्यालय की

छात्राओं को विभिन्न सरकारी, निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा वे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार के लिये तैयार हो रही हैं।

यद्यपि महाविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अस्सी वर्ष की एक दीर्घ यात्रा पूर्ण की जा चुकी है, तथापि इस संस्था द्वारा क्षेत्र की उत्साही युवतियों के भविष्य के निर्माण के लिये निरंतर किये जा रहे प्रयासों, संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं तथा महाविद्यालय परिवार की उच्च आकांक्षाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था की यह यात्रा अभी प्रारंभ ही हुई है और भविष्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रगति के लिये विभिन्न क्षेत्रों में अपने पंख फैलाये हुये एक आकाशीय उड़ान भरनी है।

दृष्टि :

अकादमिक एवं प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिये मूल्यों पर आधारित समग्र शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, और उन्हें वैश्विक दुनिया में आत्म निर्भर होने में सक्षम बनाना ताकि वे आने वाली पीढ़ी के लिये अपनी समृद्ध विरासत छोड़ सकें.

ध्येय :

हम विविधता को अपनाने के लिये, समाज की अति पिछड़ी छात्राओं के प्रति सेवा करने एवं उनके प्रति उत्तरदायित्व का भाव रखने वाली एक विषिष्ट, समावेशी, शिक्षण केंद्रित अकादमिक संस्था होंगे। हम निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से अपनी छात्राओं को सशक्त बनाने के लिये कटिबद्ध है :

- अकादमिक एवं शोध
- रोजगार को बढ़ाना
- उद्यमिता आधारित गतिविधियां
- व्यक्तित्व विकास
- महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता
- मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना
- आदर्शों, उद्देश्यों तथा मूल्यों को प्रोत्साहन देने के लिये नैतिकता को अपनाना
- स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन

- शैक्षणिक आवश्यकता से संबंधित विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराना
- उच्च शिक्षा क्षेत्र को आर्थिक विकास में परिवर्तित करने के लिये शिक्षा का विकास करना
अंततः वैश्विक दुनिया की विविध चुनौतियों का सामना करने के लिये युवा छात्राओं को बहुआयामी महिला के रूप में परिवर्तित करना

बुनियादी मूल्य :

समावेशी	— समानता एवं विविधता के लिये खुले मन से सहयोग एवं दृढ़निश्चयता।
उत्कृष्टता	— शिक्षण प्रशिक्षण, शोध एवं जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जाता है, उसमें गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता।
निर्भरता	— यह संस्था इस महाविद्यालय के अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक वातावरण में आत्म निर्भरता लाने के लिये समर्पित है।
गौरव	— यह संस्था स्टाफ की गुणवत्ता, छात्राओं की विविधता, विरासत एवं लोकेशन की प्रेस्टिज, हमारा समाज हम पर गर्व करता है।
परवरिष	— यह संस्था इस महाविद्यालय से जुड़े प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्तरदायी है, हम अपने स्टॉफ एवं छात्राओं के विकास के लिये उनकी परवरिष हेतु पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, उनके अकादमिक, सामाजिक, भौतिक, संवेदना, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक।

महाविद्यालय के प्रमुख आकर्षण

- 1995 ई. से स्वशासी व्यवस्था
- नेक 'ए' ग्रेड संस्था
- विश्व बैंक परियोजना से संबद्ध
- रूसा अभियान से संबद्ध
- 1. अधोसंरचनात्मक सुविधायें
 - दरबार हॉल 8 ब्लॉक
 - सभागार, केन्टीन
 - लेक्चर गैलरी
 - हरे-भरे उद्यान
 - इतिहास विभाग में संग्रहालय
- 2. शिक्षण प्रविधि

- व्याख्यान
- सृजनात्मक शिक्षण
- परस्पर विमर्श
- परस्पर संवाद
- सेमीनार
- वाद-विवाद
- अतिरिक्त शिक्षण
- पावर पॉइंट प्रजेंटेशन
- क्षेत्र अध्ययन
- प्रदर्शन
- पात्र भूमिका
- भौतिक सर्वेक्षण
- भौतिक अध्ययन

3. शिक्षण के साधन :

- स्मार्ट कक्षाएँ
- मल्टी मीडिया
- आभासी कक्षाएँ
- कांफ्रेंसिंग
- श्रवण सुविधा
- दृश्य सुविधा

4. आई.सी.टी. संबंधी सुविधायें—

- सी.सी.टी.वी. युक्त परिसर
- ई-गवर्ननेंस
- स्मार्ट क्लास रूम – 1
- ऑनलाईन एडमिशन
- ऑनलाईन फीस डिपोजिट
- 6 कम्प्यूटर लैब
- इंटरनेट ब्रॉड बेण्ड

5. पुस्तकालय —

- 1.12 लाख पुस्तकों से लब्ध केन्द्रीय पुस्तकालय

- 24 विभागीय पुस्तकालय
- ई-लायब्रेरी

6. क्रीडा

- ट्रेक एंड फील्ड सुविधा
- टीम गेम्स (क्रिकेट, बॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नेसियम, कबड्डी, खो-खो, हैंडबॉल आदि)
- चित्रकला विभाग में 100 कक्षाएँ, योगा

7. छात्रावास

- तीन छात्रावास – नर्मदा, कावेरी, सरस्वती
- कावेरी छात्रावास – 68
- सरस्वती छात्रावास – 72
- नर्मदा छात्रावास – 36
- मेस तथा डायनिंग हॉल – 2
- मनोरंजन कक्ष, रीडिंग रूम, आईसीटी, वाशिंग सुविधा, टेलीफोन एवं चिकित्सा सुविधा

8. काउंसलिंग एवं मेंटरिंग

- कैरिअर काउंसलिंग
- पर्सनल काउंसलिंग
- टीचर टू स्टूडेंट मेंटरिंग
- एकेडेमिक काउंसलिंग
- निःशुल्क उड़ान कोचिंग

9. गैर शैक्षणिक सुविधायें –

- एन.सी.सी. की दो कंपनी
- एन.एस.एस. की तीन ईकाईयां
- रोजगार प्रकोष्ठ स प्लेसमेंट सेल
- व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ
- अर्न व्हाईल यू लर्न प्रोग्राम

10. प्रोत्साहन एवं पुरस्कार

- संकायवार सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा को पुरस्कार
- पाठ्यक्रमवार पुरस्कार (प्रावीण्य सूची में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)
- 11 प्रायोजित एकेडेमिक पदक
- क्रीडा क्षेत्र में प्रोत्साहन

उपलब्ध नियमित स्नातक पाठ्यक्रम Regular UG Courses Offered

स्नातक (कला)	—	उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, चित्रकला, संगीत, मनोविज्ञान (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता कला/वाणिज्य/गणित/जीवविज्ञान/गृहविज्ञान संकाय में 10+2)
स्नातक (कला)	—	गृहविज्ञान (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता गृहविज्ञान संकाय में 10+2)
स्नातक (वाणिज्य)	—	वाणिज्य (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता वाणिज्य/गणित/जीवविज्ञान/गृहविज्ञान संकाय में 10+2)
स्नातक (गणित)	—	गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता गणित संकाय में 10+2)
स्नातक (जीवविज्ञान)	—	रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता जीवविज्ञान/गृहविज्ञान संकाय में 10+2)
स्नातक (गृहविज्ञान)	—	गृहविज्ञान (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता गृहविज्ञान/जीवविज्ञान/गणित संकाय में 10+2)

उपलब्ध नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम Regular PG Courses Offered :

स्नातकोत्तर (कला)	—	उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, चित्रकला, संगीत गायन, संगीत वादन (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता कला/वाणिज्य/गणित/जीवविज्ञान/गृहविज्ञान संकाय में स्नातक उपाधि)
स्नातकोत्तर (वाणिज्य)	—	वाणिज्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता वाणिज्य संकाय में स्नातक उपाधि)
स्नातकोत्तर (विज्ञान)	—	गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता वाणिज्य संकाय में स्नातक उपाधि)
स्नातकोत्तर (गृहविज्ञान)	—	फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता गृहविज्ञान संकाय में स्नातक उपाधि)

उपलब्ध स्ववित्तीय योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम Courses Offered Under Self Finance Scheme

स्नातक (जीवविज्ञान)	—	रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइंफोर्मेटिक्स (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता जीवविज्ञान/गृहविज्ञान संकाय में 10+2)
स्नातक (गणित)	—	गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, इलैक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री, कंप्यूटर साईंस (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता गणित संकाय में 10+2)
स्नातक (कंप्यू एप्लीकेशन)	—	(त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता गणित संकाय में 10+2)
स्नातक (बिजनेस मैनेजमेंट)	—	(त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता वाणिज्य संकाय में 10+2)
एकीकृत स्नातक (विधि)	—	(पंचवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता कला/वाणिज्य/विज्ञान/गृहविज्ञान/कृषि संकाय में 10+2)

स्नातक (कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ वाणिज्य) –(त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता वाणिज्य संकाय में 10+2)

स्नातक (कला) – फंक्शनल हिन्दी (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता कला/वाणिज्य/विज्ञान/गृहविज्ञान/कृषि संकाय में 10+2)

स्नातकोत्तर (विज्ञान) – जैव प्रौद्योगिकी (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम – योग्यता संबंधित विषय में स्नातक उपाधि)

पी.एच.डी. उपाधि हेतु मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत
4. इतिहास
5. समाजशास्त्र
6. राजनीतिशास्त्र
7. अर्थशास्त्र
8. भूगोल
9. दर्शनशास्त्र
10. चित्रकला
11. संगीत
12. वाणिज्य
13. गृहविद्यान
14. रसायनशास्त्र
15. प्राणीशास्त्र

List of Vocational/Skilled Based Short Term Courses

S.No.	Name of Courses	Department	Seats	Credit	Duration	Eligibility	Fees for STC
1	<u>Certificate course in Travels and Tourism Management.</u>	History	30	--	6 months	10+2	2000
2	<u>Certificate course in Concepts and applications of Bioinformatics</u>	Botany	30	--	6 months	10+2	2000
3	<u>Certificate course in Basics of Food Technology : Processing and Micro-biology</u>	Home Science & Microbiology	30	--	6 months	10+2	2000
4	<u>Certificate course in Plant Tissue Culture</u>	Biotechnology	30	--	6 months	10+2	2000
5	<u>Certificate course in Folk Music</u>	Music	30	--	6 months	10+2	2000
6	<u>Certificate course in Dance and Instrumental performance</u>	Music	30	--	6 months	10+2	2000
7	<u>Certificate course In vocal music</u>	Music	30	--	6 months	10+2	2000
8	<u>Certificate Course in English Communication Skills</u>	English	30	--	6 months	10+2	2000
9	<u>Certificate Course in Jyotishshastra</u>	Sanskrit	30	--	6 months	10+2	2000
10	<u>Certificate Course in Vastushastra</u>	Sanskrit	30	--	6 months	10+2	2000
11	<u>Certificate Course in Mobile/Laptop Repairing</u>	Physics	30	--	6 months	10+2	2000
12	<u>Certificate Course in Tafheem-e-Urdu Zuban</u>	Urdu	30	--	6 months	10+2	2000
13	<u>Certificate Course in Event Management</u>	Economics & Sociology	30	--	3 Months	10+2	1500
14	<u>Certificate Course in Basics of Statistics</u>	Mathematics	30	--	3 Months	10+2	1500
15	Certificate Course in Wild Life Conservation and Management	Zoology	30	--	3 Months	10+2	1500
16	Certificate Course in Tour Operators and Travel Agency	History	30	--	2 Months	10+2	1200
17	Certificate Course in Tourist Product Management	History	30	--	2 Months	10+2	1200
18	Certificate Course in_hospitality	History	30	--	2 Months	10+2	1200
19	Certificate Course in Remote Sensing	Geography	30	--	2 Months	10+2	1200

20	Certificate Course in Soil and Water Management	Chemistry	30	--	2 Months	10+2	1200
21	Certificate course in Bit coin and Crypto currencies	Computer Science	30	--	2 Months	10+2	1200
22	Certificate Course in Sculpture and Folk toys	Fine Arts	30	--	2 Months	10+2	1200
23	Certificate course in Techniques in Biotechnology	Biotechnology	30	--	1 Months	10+2	1000
24	Certificate course in Tourist Guide Training	History	30	--	1 Months	10+2	1000
25	Certificate course in Sanskrit Sambhashan	Sanskrit	30	--	1 Months	10+2	1000
26	Certificate course in Bakery Art	Home Science	30	--	1 Months	10+2	1000
27	Certificate course in Herbarium Techniques	Botany	30	--	1 Months	10+2	1000
28	Certificate course in Tally	Commerce	30	--	6 Months	10+2	2000
29	Certificate course in Fashion Designing	Home Science	30	--	6 Months	10+2	2000
30	Certificate course in Cosmetology	Home Science	30	--	6 Months	10+2	2000

Brief Profile of the College

Govt. Kamla Raja Girls Post Graduate (Autonomous) College is conveniently situated in a prominent location of south-west Gwalior and having a sprawling campus. Established in 1937 A.D., the college occupies a prominent place and has wide reputation among the institutes of higher education not only in the state of Madhya Pradesh but also in other states of Northern India, because of the academic achievements, the infrastructural properties and the financial richness of the college. The college is affiliated to Jiwaji University, Gwalior and recognized by UGC under section 2(f) and 12(b) of the Act, 1956.

In recognition of its significant achievements, the UGC and the state government granted autonomy to the college in 1996. As an Autonomous college, it has created many opportunities inside for the inclusion of new courses apart from the courses which have already been regularized by the Govt. of Madhya Pradesh. Apart from a good amount of financial aid from the University Grants Commission, New Delhi, it receives rupees twenty lacs as autonomous grants each year for the expenses of Autonomy. The National Assessment and Accreditation Commission awarded the college B grade in 2002 and 2010, and in 2016 it is reaccredited with the grade 'A'.

The college aims to facilitate and promote studies; research and extension work in the emerging area of higher education with the expansion of women education. It offers courses in disciplines of Arts, Social Science, Commerce, Management, Computer Science, Life Sciences, Physical Science, Home Science and law. Presently the student strength is nearly ten thousand and 300+ research scholars are doing research work in various disciplines. The college has a phenomenal range of 112 qualified regular and 59 guest faculty members. Besides, commerce and home science departments, seventeen undergraduate departments under the faculty of Art and seven Science departments under the faculty of Science, offer various courses. Twenty departments offer twenty three master's degree and one Post Graduate Diploma course. It is the only institution in this region where Urdu language is taught at the Post Graduate level. The college has a marvelous central library, computer labs, sports wing and a canteen to cater the needs of college family. The units of N.S.S. and N.C.C. of this college organize popular lectures on health and hygiene programs, social work, AIDS awareness, moral education and women empowerment in collaboration with NGO's in the area.

Strengthened by the benefits of Autonomy and commendably supported by the Janbhagidari Samiti, the college has expended its resources productively and has ensured their optimal use. By the well planned and wellthought schemes of the Principal, the College has expanded some new blocks for the studies of Job-Oriented courses such B.B.A, P.G.D.C.A., B.A.L.L.B. (Hounors), B.C.A. and others. Apart from 23 regular departments a few departments such as Computer Science, Management, Micro-biology, Bio-technology, Law, Bioinformatics, Industrial Chemistry, and Electronics have been expanded recently. The pool of 28 Vocational and Skill based

Short Term Courses has been launched in this college. The college has also adopted a comprehensive view to develop professionalism. At the time of admissions a special counseling cell is set up for giving proper guidance to students in the right selection of subjects and combinations.

Many of the faculty members have attended national and international seminars, published their papers in national, international refereed journals and anthologies. They have also published reference and text books. The alumni of the College occupy distinguished positions in almost all spheres of society, government, bureaucracy, banking, finance, academics, business, politics, journalism and media. Many are successfully managing their own business establishments and doing social work. Our students have been performing remarkably well in all spheres of life. A large number of our students get selected by national and multinational companies through campus interviews. It has been a long journey through the eighty years and yet the journey has perhaps just begun. However, the college continuously spread its wings to onwards march in scaling the new heights for pursuing the progress of women higher education.

VISION

**“Empowering women through
value based holistic education
to achieve academic and all round excellence
enabling them to be self sustainable
in the global world
leaving their foot prints to inherit.”**

MISSION

“We will be distinctive, inclusive, learner centered academic institution to welcome diversity, to serve and to be responsive for our students specially for girls from underprivileged society. We are determined to empower our girls through facilitating.

- Academics and research,
- Enhance placements,
- Entrepreneurship activities,
- Personality development
- Awareness about women rights
- Providing value based education
- Applying ethics to promote the values, goals and ideals
- Promoting egalitarianism and social justice
- Catering different categories of educational needs
- Developing an education which transforms higher education sector into economic development. Thus transforming young girls into multifaceted women to face challenges in the global world.

CORE VALUES

Inclusion: Open, welcoming, supportive and committed to equity and diversity.

Excellence: Quality and excellence underpins in teaching- learning, research and everything we do.

Sustainability: This Institute is dedicated to create sustainability in our environment, whether Academic, Cultural, Spiritual Financial or Social.

- Pride:** Institution takes pride in quality of our staff, diversity of our students, the prestige of our heritage and location. Our society takes pride in us.
- Nurture:** This institution is responsive to the needs of our stakeholders, we are committed to nurture the development of our staff, students; their Academic, Social. Physical, Emotional. Cultural and Spiritual and moral wellbeing

Regular UG Courses Offered :

- B.A.** - Urdu, English, Hindi, Sanskrit, Political Science, Sociology, History, Economics, Geography, Philosophy Drawing & Painting, Music Vocal, Music Instrument, Dance, Psychology (3 year program, Eligibility 10+2 with Arts/Commerce/ Maths /Biology/Home Sc. faculty)
- B.A.(Home Sc.)** - Home Science (3 year program, Eligibility - 10+2 with Home Science/Biology)
- B.Com.** - Commerce (3 year program, Eligibility - 10+2 with Commerce/Maths/Biology/Home Science faculty)
- B.Sc.(Maths)** - Mathematics, Physics, Chemistry (3 year program, Eligibility - 10+2 with Mathematics)
- B.Sc.(Biology)** - Chemistry, Botany, Zoology (3 year program, Eligibility - 10+2 with Biology/Agriculture)
- B.Sc.(Home Sc.)** - Home Science (3 year program, Eligibility - 10+2 with Home Science/Biology/Maths)

(Regular PG Courses Offered)

- M.A.** - Urdu, English, Hindi, Sanskrit, Political Science, Sociology, History, Economics, Geography, Philosophy Drawing & Painting, Music Vocal, Music Instrument (2 year program, Eligibility UG in Arts/Commerce/Science/Home Science faculty)
- M.Com.** - Commerce (2 year program, Eligibility UG in Commerce faculty)
- M.Sc.** - Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany (2 year program, Eligibility UG with concerning subject)
- M.Sc.** - Food & Nutrition, Human Development, Resource Management (2 year program, Eligibility UG in Home Science faculty)

(Courses Offered Under Self Finance Scheme)

B.Sc.	- Chemistry, Botany, Zoology, Microbiology/ Biotechnology/ Bioinformatics (3 year program, Eligibility - 10+2 with Biology/Agriculture)
B.Sc.	- Physics, Chemistry, Maths, Electronics / Industrial Chemistry/Computer Science (3 year program, Eligibility - 10+2 with Mathematics)
B.C.A.	- (3 year program, Eligibility - 10+2 with Mathematics)
B.A.LL.B.	- (5 year program, Eligibility - 10+2 with Arts/Commerce/Maths/ Science/Agriculture/Home Sc.)
B.A Fun. Hindi	- (3 year program, Eligibility - 10+2 with Arts/Commerce/Maths/ Biology/Home Sc. faculty)
M.Sc. Biotech.	- (3 year program, Eligibility - UG with concerning subject)
B.B.A.	- (3 year program, Eligibility - 10+2 with Commerce)
B.Com. with Computer	- (3 year program, Eligibility - 10+2 with Commerce)

Approved Research Centers for Ph.D. Degree

1. Hindi
2. English
3. Sanskrit
4. History
5. Sociology
6. Political Science
7. Economics
8. Geography
9. Philosophy
10. Drawing & Painting
11. Music
12. Commerce
13. Home Science
14. Chemistry
15. Zoology

List of VERIFIED courses

S.No	Code	Verified Course	Subject	Seat	Seat Mode	Eligibility	Duration
1	C028	B. A.	Dance - Sanskrit - Sociology	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
2	C028	B. A.	Economics - Geography - Psychology	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
3	C028	B. A.	Economics - Hindi - Sociology	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
4	C028	B. A.	Functional Hindi - Music - Sociology	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
5	C028	B. A.	Hindi - History - Mathematics	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
6	C028	B. A.	Hindi - Music Vocal - Philosophy	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
7	C028	B. A.	History - Home Science - Sanskrit	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
8	C028	B. A.	Philosophy - Political Science - Urdu	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
9	C028	B. A.	Drawing & Painting - History - Psychology	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
10	C028	B. A.	English - Geography - Mathematics	850 seats in all subject combinations of BA	Regular (conventional)	12 th	36
11	C029	B. B. A.	BBA	120	Self Financing	12 th	36
12	C030	B. C. A.	BCA	100	Self Financing	12 Th	36
13	C032	B. Com	Commerce	1200	Regular (conventional)	12 th	36
14	C198	B. Com	Commerce with Computer Application	60	Self Financing	12 th	36
15	C037	B. H. Sc.	Home Science	40	Regular (conventional)	12 th	36
17	C067	B. Sc.	Biotechnology - Chemistry Zoology	60	Self Financing	12 th	36
18	C080	B. Sc.	Botany - Chemistry - Microbiology	50	Self Financing	12 th	36
19	C085	B. Sc.	Botany - Chemistry - Zoology	300	Regular (conventional)	12 th	36
20	C113	B. Sc.	Chemistry - Industrial Chemistry - Mathematics	50	Self Financing	12 th	36
21	C115	B. Sc.	Chemistry - Industrial Chemistry - Zoology	50	Self Financing	12 th	36
22	C116	B. Sc.	Chemistry - Mathematics - Physics	200	Regular (conventional)	12 th	36
23	C137	B. Sc.	Computer Science - Mathematics -	160	Self Financing	12 th	36

			Physics				
24	C144	B. Sc.	Electronics - Mathematics - Physics	60	Self Financing	12 th	36
25	C118	B. Sc.	Chemistry - Microbiology - Zoology	50	Self Financing	12 th	36
26	D402	B. Sc.	Bioinformatics -Botany - Chemistry	20	Self Financing	12 th	36
27	C327	B. Sc.	Bioinformatics - Chemistry - Zoology	20	Self Financing	12 th	36
28	C264	B. Sc.	Law with Arts	60	Self Financing	Self Financing	60
29	C004	B.A. L.L.B.	Drawing & Painting	30	Regular (conventional)	Graduation	24
30	C005	M. A.	Economics	40	Regular (conventional)	Graduation	24
31	C006	M. A.	English	40	Regular (conventional)	Graduation	24
32	C007	M. A.	Geography	30	Regular (conventional)	Graduation	24
33	C008	M. A.	Hindi	40	Regular (conventional)	Graduation	24
34	C009	M. A.	History	40	Regular (conventional)	Graduation	24
35	C015	M. A.	Music Instrument	15	Regular (conventional)	Graduation	24
36	C016	M. A.	Music Vocal	15	Regular (conventional)	Graduation	24
37	C017	M. A.	Philosophy	20	Regular (conventional)	Graduation	24
38	C018	M. A.	Political Science	40	Regular (conventional)	Graduation	24
39	C022	M. A.	Sanskrit	40	Regular (conventional)	Graduation	24
40	C026	M. A.	Sociology	40	Regular (conventional)	Graduation	24
41	C027	M. A.	Urdu	25	Regular (conventional)	Graduation	24
42	C031	M. Com.	Commerce	500	Regular (conventional)	Graduation	24
43	C042	M. Sc.	Biotechnology	30	Self Financing	Graduation	24
44	C043	M. Sc.	Botany	40	Regular (conventional)	Graduation	24
45	C044	M. Sc.	Chemistry	40	Regular (conventional)	Graduation	24
46	C050	M. Sc.	Mathematics	40	Regular (conventional)	Graduation	24
47	C054	M. Sc.	Physics	40	Regular (conventional)	Graduation	24
48	C056	M. Sc.	Zoology	40	Regular (conventional)	Graduation	24
49	C205	M. Sc. (Home Sc.)	Food and Nutrition	10	Regular (conventional)		24
50	C206	M. Sc. (Home Sc.)	Family Resource Management	10	Regular (conventional)		24
51	C207	M. Sc. (Home Sc.)	Human Development	10	Regular (conventional)		24
52	C034	Special Courses	PGDCA	60	Regular (conventional)		12

Main features of the college

- Autonomous facility since 1995
- Online Admission
- E-governance
- 15 Research Centers
- Central Library with 1.12 Books
- E-Library
- Sport facility in Track and Field and Team games with Yoga
- Gymnasium facility of 16 Station
- Three Hostel Narmada, Kaveri, Saraswati -

Total Capacity

Kaveri Hostel	- intake capacity 68 students
Saraswati Hostel	- intake capacity 72 students
Narmada Hostel	- intake capacity 36 students

Mess with Dining Hall - 2

Recreation Hall, Reading Room, ICT, Washing facilities, Telephone and Medical facility is available

- Three Units of N.S.S.
- Two Companies of N.C.C.
- Smart Employment Cell
- Smart Personality Development Cell
- Skill Development Programs and Training Program
- Earn While You Learn Facility
- Smart Placement Cell
- Smart Equal Opportunity Cell
- Free Coaching facility (UDAAN)–
- Free Counseling Facility –
- Free Tutorial Facility –
- Free Mentoring Facility –
- 05 Lush Green Garden
- 06 Computer labs
- 15 Smart Class Rooms
- Campus under surveillance system

- Canteen
- Parking
- Auditorium
- Museum in History Department
- Darbar Hall on Drawing & Painting Department

Teaching methods

- ❖ Lecture
- ❖ Creative Teaching
- ❖ Discussions
- ❖ Interactive Sessions
- ❖ Seminars
- ❖ Debates
- ❖ Tutorials
- ❖ PPT Presentations
- ❖ Field study
- ❖ Demonstrations
- ❖ Role plays
- ❖ Field Survey Mapping
- ❖ Field study
- ❖ Teaching Aids
- ❖ Smart Class Rooms
- ❖ Multi media
- ❖ Virtual class
- ❖ Conferencing
- ❖ Audio
- ❖ Video

Fees Structure 2019-2020

UR		SC		ST		OBC	
BA Hindi , History, Mathematics							
Course Year	Female	Fee Deposited at the time of Admission (Female)	Fees Deposited at the time by Scholarship (Female)	Fee Deposited at the time of Admission (Female)	Fee Deposited at the time by Scholarship (Female)	Fee Deposited at the time of Admission (Female)	Fee Deposited at the time by Scholarship (Female)
I	987	114	873	114	873	987	0
II	977	114	863	114	863	977	0
III	1077	114	963	114	963	1077	0
BA Dance Sanskrit, Sociology							
I	1087	114	973	114	973	1087	0
II	1077	114	963	114	963	1077	0
III	1177	114	1063	114	1063	1177	0
Economics, Geography, Pschycology							
I	1087	114	973	114	973	1087	0
II	1077	114	963	114	963	1077	0
III	1177	114	1063	114	1063	1177	0
Functional Hindi , Music, Sociology							
I	1087	114	973	114	973	1087	0
II	1077	114	963	114	963	1077	0
III	1177	114	1063	114	1063	1177	0
BA Music Vocal Hindi Philosophy							
I	1087	114	973	114	973	1087	0
II	1077	114	963	114	963	1077	0
III	1177	114	1063	114	1063	1177	0
BA History, Home Science, Sanskrit							
I	1087	114	973	114	973	1087	0
II	1077	114	963	114	963	1077	0
III	1177	114	1063	114	1063	1177	0
BA Drawing and Painting History, Psychology							
I	1087	114	973	114	973	1087	0
II	1077	114	963	114	963	1077	0
III	1177	114	1063	114	1063	1177	0
BA English, Geography, Mathematics							

I	1087	114	973	114	973	1087	0
II	1077	114	963	114	963	1077	0
III	1177	114	1063	114	1063	1177	0
BBA							
I	11087	114	10973	114	10973	11087	0
II	11077	114	10963	114	10963	11077	0
III	11177	114	11063	114	11063	11177	0
BCA							
I	15087	114	14973	114	14973	15087	0
II	15077	114	14963	114	14963	15077	0
III	15177	114	15063	114	15063	15177	0
BCOM Bsc CBZ/PCM							
I	1087	114	973	114	973	1087	0
II	1077	114	963	114	963	1077	0
III	1177	114	1063	114	1063	1177	0
Commerce with CS							
I	8087	114	7973	114	7973	8087	0
II	8077	114	7963	114	7963	8077	0
III	8177	114	8063	114	8063	8177	0
Micro Biology/Zoology							
I	8087	114	7973	114	7973	8087	0
II	8077	114	7963	114	7963	8077	0
III	8177	114	8063	114	8063	8177	0
Microbiology Chemistry Botany, Zoology							
I	6087	114	5973	114	5973	6087	0
II	6077	114	5963	114	5963	6077	0
III	6177	114	6063	114	6063	6177	0
CS Math Physics							
I	6087	114	5973	114	5973	6087	0
II	6077	114	5963	114	5963	6077	0
III	6177	114	6063	114	6063	6177	0
Electronics Math Physics							
I	4087	114	3973	114	3973	4087	0
II	4077	114	3963	114	3963	4077	0
III	4177	114	4063	114	4063	4177	0
Microbiology, Chemistry, Botany, Zoology							
I	6087	114	5973	114	5973	6087	0
II	6077	114	5963	114	5963	6077	0

III	6177	114	6063	114	6063	6177	0
Micro Zoology Botany							
I	9087	114	8973	114	8973	9087	0
II	9077	114	8963	114	8963	9077	0
III	9177	114	9063	114	9063	9177	0
BALLB							
I	15987	114	15873	114	15873	15987	0
II	16077	114	15963	114	15963	16077	0
III	16077	114	15963	114	15963	16077	0
IV	16077	114	15963	114	15963	16077	0
V	16077	114	15963	114	15963	16077	0
MA Drawing and Painting, Geography, Music Instrument/ Vocal							
I	1192	154	1038	154	1038	1192	0
II	1092	154	938	154	938	1092	0
MA Economics, English , Hindi, History, Philosophy, Political Science, Sanskrit, Sociology, Urdu							
I	992	154	838	154	838	992	0
II	892	154	738	154	738	892	0
MCom							
I	1092	154	938	154	938	1092	0
II	992	154	838	154	838	992	0
MSC (Biotech)							
I	31192	154	31083	154	31083	31192	0
II	31092	154	30983	154	30983	31092	0
Msc Botany, Chemistry, Physics, Zoology, Msc (Home Science), FN/RM/HD							
I	1092	154	938	154	938	1092	0
II	992	154	838	154	838	992	0
PGDCA							
I	16192	154	10638	154	10638	16192	0

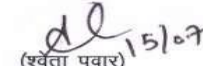
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ, भवन मंत्रालय-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15/07/2021

क्रमांक: 544/94/सीसी/2021/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2021-22 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धान्त, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं।

सलग्न- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धान्त


(श्वेता पवार)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक: 545/94 /सीसी/2021/अड़तीस

भोपाल, दिनांक 15/07/2021

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र.।
 2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
 3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
 6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, म.प्र.।
 7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
 8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
 9. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
 10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
 11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग



उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2021-22

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक
प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल - 462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2551698, 2554763

E-mail:- epraves12@gmail.com

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :- 0755-6720201

विद्यार्, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

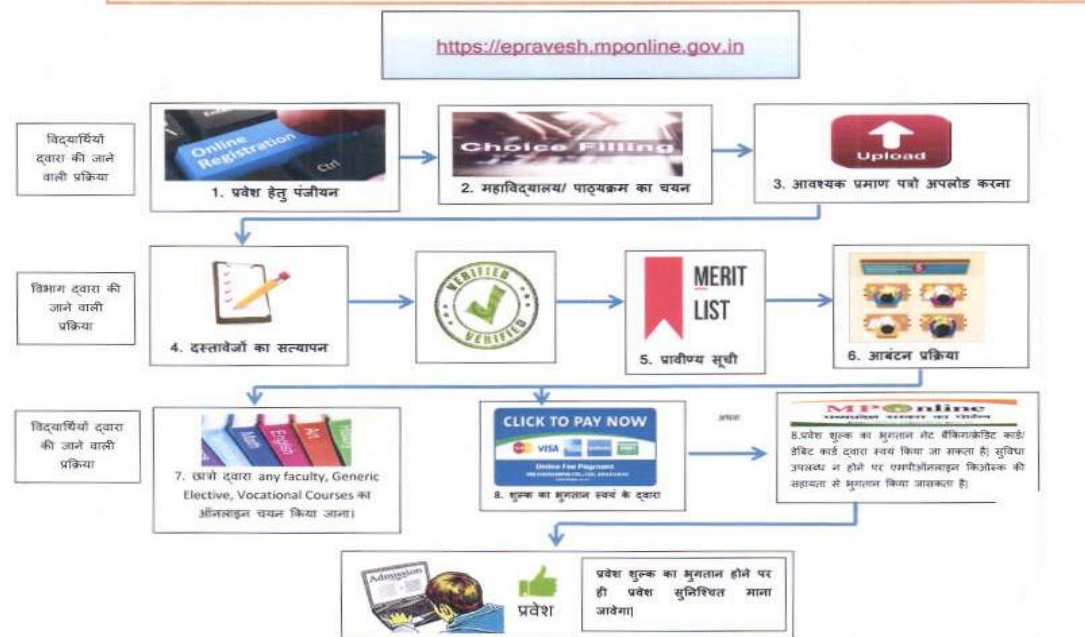
ONLINE ADMISSION PROCESS



पोर्टल पर विश्वविद्यालय तार पाठ्यक्रम की सूची एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता दर्शित है।
जो आसानी से अपनी योग्यतानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का चयन कर सकता/ सकती है।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने हेतु क्या करना है।

सर्वप्रथम पंजीयन, पात्रता अनुसार महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन, आवश्यक दस्तावेजों/ प्रमाण पत्रों स्कैन कर अपलोड करना। प्राप्तोंक एवं श्रेणी के आधार पर नियमानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का आवंटन होगा। आवंटन होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में नवीन विषयों का ऑनलाइन चयन एवं महाविद्यालय की प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित होगा।



प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र 2021-22

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	उप विषय	पृ. क्र.
1	प्रयुक्ति		4
2	पोर्टल की जानकारी		4
3	आयु संबंधी प्रावधान		4
4	अर्हकारी परीक्षा 10+2 से संकाय, परिवर्तन संबंधी निर्देश		4
5	स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता		4-6
6	प्रवेश प्रक्रिया		6-12
6.1	पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया		6
6.2	पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश		7
6.3	महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया		7
6.4	पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया	6.4.1 अंक सूची संबंधी 6.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी 6.4.3 संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी 6.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी 6.4.5 मूल निवासी संबंधी	7 8 8 8 8
6.5	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ई -सत्यापन प्रक्रिया	6.5.1 ई-सत्यापन संबंधी निर्देश 6.5.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश	9 9-10
6.6	ऑनलाईन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन	6.6.1 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण 6.6.2 प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया	10 10
6.7	महाविद्यालय / संकाय आवंटन पश्चात् विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश	प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाईन	11
6.8	ऑनलाईन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया	6.8.2 प्रवेश शुल्क का ट्रान्जैक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश	11
6.9	प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया		12
6.10	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया		12
7	द्वितीय चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया		12
8	ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया		13
9	शुल्क वापसी हेतु महाविद्यालय को निर्देश		14
10	रुक जाना नहीं अन्तर्गत प्रवेश		14
11	शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश		14
12	पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश		14
13	मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं	13.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना 13.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) 13.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना	14 15 16
14	वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु)		17
15	विधि संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया		17

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
16	उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		18
17	संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		18
18	स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान		18
19	प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता		18-19
20	प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)	20.1 स्नातक स्तर	19
		20.2 स्नातकोत्तर स्तर	19
		20.3 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश	19
		20.5 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश	19
		20.6 स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान	20
		20.7 पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश	20
		20.9 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया	20
21	स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम		20
22	स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम		21
23	प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण	23.8 निजी महाविद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया	21
24	समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम		22-23
25	प्रवेश की पात्रता	25.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा	23
26	विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता		24
27	बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम		24
28	आरक्षण	28.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश	25-26
29	अधिभार	29.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स)	27
		29.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विजय/रूपोंकन प्रतियोगिताएं	27
		29.8 विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)	28
30	प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान	30.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार	29
		30.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया	29
		30.3 हितग्राही योजना परिवर्तन	30
		30.4 विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन	30
31	परिशिष्ट 1 एवं 2		32-35
32	परिशिष्ट 3 ऑनलाईन प्रवेश समय-सारणी		36-37
33	सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ - Frequently Asked Questions)		38-46

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
(सत्र 2021-2022)

1. **प्रयुक्ति :-**
मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।
- 1.1 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरांत गरिमामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।
2. **पोर्टल की जानकारी :-**
पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल (<https://epravesha.mponline.gov.in>) पर उपलब्ध रहेगी।
3. **आयु संबंधी प्रावधान :-**
वर्ष 2017-18 प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त के बिन्दु क्रमांक 9.3 क.ख.ग.घ.ड.च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात् सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
4. **अर्हकारी परीक्षा 10+2 से संकाय/विषय परिवर्तन संबंधी निर्देश :-**
स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर ही देय होगा।
5. **स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :-**
- 5.1 स्नातक स्तर हेतु :-
10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

स.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव.विज्ञान समूह)(जीव.विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे-माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि विषय) (टीप:- म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 394/73/सी.सी./2017 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार)
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्र. 5.1.6 का अवलोकन करें)

- 5.1.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :-
10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।
स्पष्टीकरण - मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड (Open Board)/एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य राज्यों से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5.1.2 आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- 5.1.3 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 667/175/सीसी/18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो।)
- 5.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेंड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।
- 5.1.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक - माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमिस्ट्री, माइक्रोबॉयोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जावेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।
- 5.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :-
स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम.
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
5	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत आवश्यक)

- 5.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :- मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5.2.2 पी.जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।
6. प्रवेश प्रक्रिया :-
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2021-22 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाईन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाईन पंजीयन, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा।
- 6.1 पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया :-
- 6.1.1 ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।
- 6.1.2 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाईन पंजीयन के समय ही ऑनलाईन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिवर्सिटी आई.डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक ही यूनिवर्सिटी आई.डी के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात् नियमित विद्यार्थी के लिए "/आर" (/R) और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए "/पी" (/P) का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक के साथ विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे -"/बीयू"(/BU) अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आवंटित नामांकन क्रमांक एवं यूनिवर्सिटी आई.डी यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा और उसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे -"/बीयू/डी.ए.वि.वि"(/BU/DAVV) अंकित किया जाएगा।
- 6.1.3 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाईन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।
- 6.1.4 पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे-नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- 6.1.5 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्राथमिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा सी.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम तथा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के कुल अंकों की प्रावीण्यता प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- 6.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

6.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा:-

स.क्र.	चरण	शुल्क	विशेष
1.	प्रथम चरण में पंजीयन	100/-	समस्त छात्राओं को निःशुल्क
2.	द्वितीय चरण में पंजीयन	250/-	दिलंब शुल्क सहित।
3.	सी.एल.सी. चरण में पंजीयन	500/-	दिलंब शुल्क सहित।
4.	पोर्टल शुल्क	50/-	स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए।

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा, तत्पश्चात् ही ऑनलाईन ई-सत्यापन होगा।

6.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश :-

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्ता विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी. में अपने ऑनलाईन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्वाइस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

6.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.3 महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सत्र 2021-22 की ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 7 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाइस फिलिंग) कर सकेंगे।

6.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :-

पंजीयन के समय आवेदक को ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) :-

- अंक सूची-न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.1 का अवलोकन करें)
- जाति प्रमाण पत्र- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.2 का अवलोकन करें)
- संवर्ग प्रमाण पत्र- (दिव्यंग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.3 का अवलोकन करें)
- अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.4 का अवलोकन करें)

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण

6.4.1 अंक सूची संबंधी :-

- अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।

- (ब) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छटवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रावधिक प्रवेश हेतु केवल स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम (पांचवें) सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड करेंगे।

6.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी :-

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आउशि/शा-5 अ/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।

- (अ) ऑनलाईन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- (ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जावेंगे।

6.4.3 संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी :-

संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 28 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

6.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2017-18 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2018-19 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।
- (द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 29 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

6.4.5 मूल निवासी संबंधी :-

- (अ) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की हैं, उन्हें पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ब) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

- 6.5 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया :-
- (अ) पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जावेगी।
- (ब) सत्र 2021-22 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा।
- (स) आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अभिगार हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हों।
- 6.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :-
- (अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय आवंटन अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी 'सत्यापन पूर्ण' के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।
- (ब) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
- (स) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- 6.5.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश :-
- (अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त/अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
- (ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को "असत्यापित या त्रुटिपूर्ण" वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से भी दी जावेगी।
- (स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार/पुनः सत्यापन करवा सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पथी (ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेगी।
- (द) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- (य) अपवाद स्वरूप सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि/विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों (Help Centers) के माध्यम से त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट जिले के अग्रणी महाविद्यालय को त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित की जायेगी। शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों की रिक्वेस्ट पर अग्रणी महाविद्यालय द्वारा त्रुटि सुधार किया जायेगा त्रुटि सुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।
- इस हेतु भेजी गई रिक्वेस्ट के परीक्षण एवं दस्तावेजों के संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी सहायता केन्द्रों की होगी।

- (र) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत/सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
- 6.6 ऑनलाईन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन:-
सत्र 2021-22 से ऑनलाईन ई-प्रवेश की प्रक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय चरण में महाविद्यालयों की कुल वास्तविक सीटों के विरुद्ध आवंटन की प्रक्रिया 1.25 प्रतिशत से की जावेगी, जिससे प्रथम एवं द्वितीय चरण में अधिक से अधिक आवेदकों को उनके द्वारा दी गई वरीयतानुसार प्रवेश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।
- 6.6.1 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण :-
(अ) गुणानुक्रम का निर्धारण -
स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
(ब) स्नातकोत्तर कक्षा में प्राथमिकता का निर्धारण -
किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।
- 6.6.2 प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया
(अ) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के ऑनलाईन शुल्क भुगतान पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।
(ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे।
(स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर/ई-मेल पर संदेश के द्वारा दी जावेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
(द) सत्र 2021-22 की प्रवेश-प्रक्रिया में कोविड-19 की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने /प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाईन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) का भुगतान ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।
(य) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में पूर्वानुसार ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।

- 6.7 महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात् प्रदेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाईन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश :-
- 6.7.1 आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अभिरूचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यवसायिक विषय का चयन करना सौचित्य होगा।
- 6.7.2 आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाईन प्रदेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वतः इनिशिएट हो जावेगी। आवेदक ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर प्रदेश सुनिश्चित कर सकेंगे।
- 6.8 ऑनलाईन प्रदेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया
- (अ) कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को ऑनलाईन विषय चयन करने के उपरांत प्रदेश शुल्क की प्रथम किश्त राशि रुपये 1,000/- (नामांकन शुल्क सहित) ऑनलाईन जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को नामांकन के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपनी सहमति दर्ज करनी होगी। जिससे आवेदकों को पृथक् से नामांकन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। प्रदेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कण्डिका 13.1, 13.2 एवं 13.3 के अनुसार होगी।
- (ब) चयनित विषय के आधार पर प्रदेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रदेश प्राप्त कर सकेंगे।
- (स) प्रदेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रदेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाईल नं./ ई-मेल पर प्राप्त होगी।
- 6.8.1 शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाईन एडमिशन रिलफ के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन एडमिशन रिलफ का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रदेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रदेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन रिलफ का बाद में भी पोर्टल से प्रिंट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद (Admission Slip) का प्रिंट लेने के तत्काल बाद महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.9 का अवलोकन करें।
- 6.8.2 प्रदेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :-
- आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आवेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रदेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रदेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रदेश सूची में दर्शित नहीं होगा।
- महत्वपूर्ण** - विद्यार्थियों का प्रदेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाइल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को प्रोफाइल अद्यतन करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रदेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।

- 6.9 उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया :-
कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/डुप्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- 6.10 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयवधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
7. द्वितीय चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-
प्रथम चरण पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.1 पुनः विकल्प चयन प्रक्रिया
- 7.1.1 प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाइन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा।
- 7.1.2 आवेदक स्वेच्छानुसार अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे, परन्तु प्रथम चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दशरथी हुई प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुनः न भर दे।
- 7.1.3 प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त कर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु पुनः वरीयता/विकल्प ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर ही आवेदक द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 7.1.4 पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- 7.1.5 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है। समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बिन्दु क्रमांक 6 में उल्लेखित कण्डिका 6.1 से 6.10 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तदनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- 7.2 आवंटन प्रक्रिया :-
- 7.2.1 द्वितीय चरण में महाविद्यालयों की कुल वास्तविक सीटों के विरुद्ध आवंटन की प्रक्रिया 1.25 प्रतिशत से की जावेगी, जिससे द्वितीय चरण में अधिक से अधिक आवेदकों को उनके द्वारा दी गई वरीयतानुसार प्रवेश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।
- 7.2.2 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को द्वितीय चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.2.3 समय सारणी अनुसार द्वितीय चरण में प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया प्रथम चरण अनुसार ही सम्यन् की जावेगी।

8. ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-
- 8.1 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- 8.2 पंजीकृत आवेदक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 8.3 प्रथम एवं द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों में मूल सीटों के विरुद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
- 8.4. सी.एल.सी. चरण में समय-सारणी अनुसार द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कडिका 28.1 से 28.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कडिका 28.12 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।
- 8.5 ऑनलाईन सी.एल.सी. प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व वरीयताओं में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।
- 8.6 प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश लेकर, प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को ऑनलाईन सी.एल.सी. प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाईन वरीयता/विकल्प पुनः देना अनिवार्य है।
- 8.7 पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- 8.8 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है। समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बिन्दु क्रं 6 में उल्लेखित कडिका 6.1 से 6.10 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तदनुसार ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- 8.9 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों को सी.एल.सी. चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।
- 8.10 सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।
- 8.11 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण प्रवेश हेतु उनकी पात्रता मेरिट सूची अनुसार पाई जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुये परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवस की समय सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ. शि. के प्रस्ताव पर, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दिया जायेगा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मॉड्यूल में दर्ज किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या बाध्यता नहीं होगी। साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

9. शुल्क वापसी हेतु महाविद्यालय को निर्देश -

शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय द्वारा, प्रथम/द्वितीय/सी.एल.सी. चरण में प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदकों की प्रवेश शुल्क की राशि ऑनलाईन निरस्तीकरण पश्चात्, प्रक्रिया शुल्क रु. 100/- काटकर शेष राशि संबंधित आवेदक के द्वारा प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किये गये खाते में अंतरित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

10. रूक जाना नहीं अंतर्गत प्रवेश - ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रूक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

11. शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश -

कड़िका 25.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी।

12. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश -

12.1. ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्राथमिक प्रवेश हेतु ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जायेगा।

12.2. प्राथमिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।

12.3. पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्राथमिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्राथमिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

(नोट:- इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।)

12.4. प्राथमिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरस्त किया जा सके। प्राथमिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस की जाएगी।

13. म.प्र.शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं :-
- 13.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना :-
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/ सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है।
इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है।
- 13.1.1 पात्रता की शर्तें:-
i. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
ii. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय छः लाख रुपये से कम हो।
iii. विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।
- 13.1.2 योजना का स्वरूप
यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।
स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर छात्र को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क एवं कौशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)
- 13.1.3 स्पष्टीकरण:- प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कौशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।
- 13.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) :-
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म0प्र0 शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।
- 13.2.1 पात्रता की शर्तें:-
i. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी।
ii. विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र.शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 13.2.2 योजना का स्वरूप
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आउशि/शा-5'अ'/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मैस शुल्क एवं कौशन मनी को छोड़कर) दिया जावेगा।
- 13.2.3 स्पष्टीकरण :- स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मैस शुल्क एवं कौशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

- 13.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण :- उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का मूली भांति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रदेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें।
- 13.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना :- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, यल्लम भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.05.2021 के अनुसार -
- 13.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1)-
इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्वहण रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।
- 13.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3)-
परिवार से अनिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)
बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट-3.2.3)
"कोविड-19 से मृत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई।
- 13.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4)-
प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।
- 13.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट 5.3.2) -
- (अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रदेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मंस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही कौशलमयी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रदेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका - 'अ' अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रुपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार-लिंकड बैंक खाते में की जावेगी।
- 13.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट-5.3.4)
- 13.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)
- 13.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ-मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट-8)

- 14 वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :-
- 14.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्राथमरी / मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र.F-44-27/2015/20-2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।
- 14.2 वन-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाईन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
15. विधि संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया :-
- (अ) विधि स्नातक (एल.एल.बी./बी.ए.एल.एल.बी.)में BCI नई विल्ली द्वारा निर्धारित सीटों (अधिकतम 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन) एवं मापदण्डों अनुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (ब) विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का, संबंधित मैपिंग महाविद्यालय से सत्यापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना अनिवार्य होगा।
- 15.1 एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत :-
- | वर्ग | न्यूनतम अंक प्रतिशत |
|----------------------|---------------------|
| सामान्य वर्ग | 45 % |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 42 % |
| अनुसूचित जाति/जनजाति | 40 % |
- 15.2 एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत :-
हायर सेकण्डरी एवं पूर्व ग्यारहवीं में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे:-
- | वर्ग | न्यूनतम अंक प्रतिशत |
|----------------------|---------------------|
| सामान्य वर्ग | 45 % |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 42 % |
| अनुसूचित जाति/जनजाति | 40 % |
- 15.3 पत्राचार/दूरस्थ पाठ्यक्रम से विधि में प्रवेश :-
यदि आवेदक ने पत्राचार/दूरस्थ पाठ्यक्रम से 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण कर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन किया हो तो वह एल. एल. बी. त्रि-वर्षीय/पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र होगा।
- स्पष्टीकरण :- आवेदक जिसने 10+2 अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन विश्वविद्यालय) से बिना आधारभूत मूल शिक्षा (बेसिक क्वालिफिकेशन) के प्राप्त किया हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। (The BCI Rules Page No-35 & Para No-02)
- 15.4 एल.एल.एम. में प्रवेश :-
- (अ) एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा (एल.एल.बी. त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत होंगे।
- (ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।
विशेष टीप:- न्यायालयीन निर्णय अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

16. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :-

- 16.1 म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 772/216/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 7.8.2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।
- 16.2 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547/484/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा-बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

17. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :-

- 17.1 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 17.2 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से संपन्न करना होगा। सभी संस्कृत महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति, निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल दर्ज कर मैपिंग महाविद्यालय से ऑनलाईन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाईन पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

18. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :-

- सत्र 2021-22 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-
- 18.1 सत्र 2020-21 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जायेगा। (अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।)
- 18.2 सत्र 2020-21 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जायेगा। (अर्थात् 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।)
- 18.3 सत्र 2021-22 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।
- 19. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता :-**
- 19.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- 19.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- 19.3 महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।

- 19.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष /षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।
- 19.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
20. **प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु) :-**
प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय-सीमा में ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।
- 20.1 स्नातक स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाईन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों में (द्वितीय व तृतीय वर्ष)/शेष सेमेस्टर्स में (तृतीय व पंचम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन ही होगी।
- 20.1.1 वार्षिक प्रणाली में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण/एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 20.1.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 20.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाईन प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 20.3 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश - नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार 500/- प्रथम किश्त के रूप में ऑनलाईन जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्नातक स्तर पर MMVY/MMJKY के विद्यार्थी नि:शुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बटन क्लिक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर MMJKY के विद्यार्थी नि:शुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बटन क्लिक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68/17/आउशि/आई.टी./19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 30/- देय होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा तीन किश्तों में महाविद्यालय आरंभ होने पर ऑनलाईन जमा की जावेगी।
- 20.4 सत्र 2021-22 से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 13.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना है।
- 20.5 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश-
कंडिका 25.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आब्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- 20.6 **स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान :-** मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में तथा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 20.6.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/38-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2021-22 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2020-21 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 20.7 **पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश :-** जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।
- 20.8 पूर्व छात्र (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
- 20.9 **विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-** विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयवधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
21. **स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी/पूरक से संबंधित प्रवेश नियम :-**
- 21.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी.प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
- 21.2 वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
- 21.3 सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेंगे, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 21.4 स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
- 21.5 **विशेष परीक्षार्थी :** कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 1204/387/आउशि/शा-5'अ'/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित पूरक परीक्षाओं में (संबंधित वर्ष की परीक्षाओं के साथ) पूरक प्राप्त/नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

22. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम :-

- 22.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
- 22.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- 22.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 22.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

23. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :-

- 23.1 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य कक्षा/विषयवार सीट संख्या में वृद्धि हेतु शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्र. 708/484/आउशि/शा-5'अ'/2018, दिनांक 18 अगस्त 2018 के परिपालन में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेंगे। सीट वृद्धि की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित समय-सीमा में मान्यता प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा।
- 23.2 अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- 23.3 इस सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 23.4 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में समस्त महाविद्यालय संस्था में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाईन विभागीय (<https://eprवेश.mponline.gov.in>) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।
- 23.5 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रॉस चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।
- 23.6 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को राउण्डअप करते हुए सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 23.7 निजी महाविद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया -
- (अ) नवीन निजी महाविद्यालय को विभाग द्वारा जारी आई.डी. पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय की प्रोफाईल निर्मित करना अनिवार्य होगा।
- (ब) निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर सम्बद्ध होने के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर संस्था से संबंधित जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
- (स) शासन द्वारा जारी वर्तमान सत्र के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरन्तरता प्रमाण पत्र।

- (द) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
- (य) यदि सत्र 2021-22 में सीटों का निर्धारण नहीं किया गया है तो उस स्थिति में सत्र 2020-21 में निर्धारित ऑनलाईन प्रवेशित संख्या, जिसको संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया है, को ही सत्र 2021-22 के लिये संकाय/विषयवार सीट संख्या माना जावेगा।
- (र) विधि पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त कडिका 23.8 के साथ-साथ, बी.सी.आई. की अनुमति एवं निर्धारित सीट संख्या।
- (ल) महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।
- (व) पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय का सत्यापन क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को रिवर्ट किया जाएगा। रिवर्ट की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।
- (श) स्नातक स्तर की विधि कक्षाओं में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रति सेक्शन गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 24. समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :-**
- 24.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एज्युकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।
- 24.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल,भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 24.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
- 24.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

- 24.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होंगी।
- 24.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।
- 24.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।
25. प्रवेश की पात्रता :-
- 25.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा
- (अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (द) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :
1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
 2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
 3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
 4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
 5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आग्रजन की सुविधा।
 6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।
- (य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

26. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :-

- 26.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।
- 26.2 जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या घालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थी/अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं हैं।
- 26.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।
- 26.4 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 26.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

27. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-

- 27.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी.(गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 27.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 27.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 27.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 27.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 27.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 27.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 27.8 प्रवेश उपरान्त उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग के समय संबंधित शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/आव्रजन प्रमाण पत्र/शपथ-पत्र/पुलिस सत्यापन/चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

28. आरक्षण :-

- मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :-
- 28.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।
- 28.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 28.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)
- 28.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्दुल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा-
1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मंडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मंडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मंडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मंडल पत्रों में उल्लेख।
 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मंडल।
 7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- 28.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 28.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।
- 28.7 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 28.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

- 28.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 28.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।
- 28.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :-
अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।
अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी।
- 28.11.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने होंगे -
(अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
(स) अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र।
(द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गवर्निंग बॉडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।
(य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्यावार/ संकायवार एकजाई जानकारी।
(र) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।
- 28.11.2 क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा संबन्धित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाइल का सत्यापन कड़िका 28.11.1 में उल्लेखित 6 प्रमाण पत्र/प्रपत्रों की ऑनलाईन अपलोड प्रतियों के आधार पर किया जाएगा।
- 28.12 कड़िका 8.4 अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।
- 28.13 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- 28.14 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबन्धित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबन्धित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।
29. अधिभार :-
अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबन्धित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

29.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट /गार्ड्रुस/रेन्जर्स) :

क	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
ख	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
ग	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
घ	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
च	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कॉन्टिनेजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
छ	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
ज	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
झ	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
य	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
र	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	15 प्रतिशत
ल	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
व	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत

29.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

29.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश लेने पर 5 प्रतिशत

29.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विजय/रूपांकन प्रतियोगिताएं -

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	2 प्रतिशत
ख	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	4 प्रतिशत
(2) उपयुक्त कडिका 29.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तर संभाग/अन्तर जिला में :-		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सदस्य को	7 प्रतिशत
ख	जिले के दल से संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	5 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन/ एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में :-		
क	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को	15 प्रतिशत
ख	प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को	10 प्रतिशत

29.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
------	--	------------

29.6	भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में—	
	क मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
	ख प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ी / दल के सदस्यों को	15 प्रतिशत
	(अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से है, जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।)	

29.7	जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत
------	---	-----------

29.8 विशेष प्रोत्साहन आउटराईट (Outright) :-

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बिना किसी गुणानुक्रम (Outright) के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क्र. 7678/खेयुक्/2018 दिनांक 14.11.2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है।

1.	साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के प्रवेश
2.	भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी	
3.	एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स	
4.	ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्डकप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स एवं साउथ एशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसिएशन ऑफ इन्डियन यूनिवर्सिटीस (AIU) की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थी को।	

29.9 पंजीयन आवेदन पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड किये जा रहे दस्तावेजों के लिए पूर्व में ही अनिवार्य होगा कि -

- (1) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाये।
- (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के क्रीडा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित विश्वविद्यालय के संचालक, खेल द्वारा किया जाये।

- (4) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अनिप्रमाणन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के क्रीडा अधिकारी द्वारा किया जावे।
- (5) एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अनिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावे।
- (6) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अन्तर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात् दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 29.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ जिनमें राज्य सरकार सह-प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 29.4 (3) के अनुरूप होगी।
30. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-
- 30.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार :-
- 30.1.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 30.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक् सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
- 30.1.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरांत ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।
- 30.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 26.2 एवं 26.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 30.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-
- शुल्क वापसी की प्रक्रिया का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 30.2.1 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने/प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने/प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रुपये 100/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।
- 30.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 30.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्धत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।
- रिमार्क: यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी / व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

30.3 हितग्राही योजना परिवर्तन:-

30.3.1 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।

30.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।

30.4 विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन:-

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन मॉड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।

30.5 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।

30.6 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाईन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विरंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 15 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यतः अकादमिक शाखा, आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय, म.प्र. भोपाल को पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, प्रमाण एवं प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में ई-मेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त समय-सीमा की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

30.7 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2021-22 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/प्रवेश नवीनीकरण हेतु कडिका 6.1.7 के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।

30.8 प्रवेश निरस्तीकरण उपरान्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाईन मॉड्यूल में प्रविष्टि करने संबंधी- एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।

- 30.9 अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रावधान/व्यवस्था— ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
- 30.10 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धांतिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

संलग्न : अकादमिक कैलेंडर सत्र 2021-22 (परिशिष्ट 1 एवं 2)


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय
कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22**

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1	सितम्बर 2021	30	4 रविवार + 0 अवकाश	26
2	अक्टूबर 2021	31	5 रविवार + 4 अवकाश	22
3	नवम्बर 2021	30	4 रविवार + 2 अवकाश	24
4	दिसम्बर 2021	31	4 रविवार + 01 अवकाश	26
5	11 जनवरी 2022 तक	11	2 रविवार + 0 अवकाश	09
	कुल दिवस	133	26	107

**स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना
सत्र 2021-22**

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1.	01 सितम्बर 2021 से 11 जनवरी 2022 तक कुल कार्य दिवस	107
2.	अवकाश एवं शैक्षणिक गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश - 02 2. दीपावली अवकाश - कुल 5 कार्यदिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां - 06 कार्य दिवस 4. परीक्षा-21 कार्य दिवस	34
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (107-34)	73

**स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ
कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22**

क्रमांक	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1	21 जनवरी 2022	11	2 रविवार + 1 अवकाश	08
2.	फरवरी 2022	28	4 रविवार + 1 अवकाश	23
3.	मार्च 2022	31	4 रविवार + 2 अवकाश	25
4.	अप्रैल 2022	30	4 रविवार + 5 अवकाश	21
5.	मई 2022	31	5 रविवार + 1 अवकाश	25
6.	जून 2022	30	4 रविवार	26
	कुल दिवस	161	33	128

**स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय/चतुर्थ हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की
गणना सत्र 2021-22**

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1.	21 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक कुल कार्य दिवस	128
2.	अवकाश एवं शैक्षणिक गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां- 03 कार्य दिवस 2 स्थानीय अवकाश- 01 2. परीक्षा 17 कार्य दिवस 3. ग्रीष्म अवकाश 34 कार्य दिवस	55
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (128-55)	73

सत्र 2021-22 अकादमिक कैलेंडर
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

स.क्र	विवरण	तिथि
1.	प्रवेश प्रारंभ	01 अगस्त 2021
2.	शिक्षण कार्य प्रारंभ	01 सितम्बर 2021
3.	प्रवेश उत्सव कार्यक्रम	अक्टूबर 2021
छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/ खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ		
1.	छात्रसंघ गठन	अक्टूबर 2021
2.	विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संभाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएँ	ये सभी गतिविधियाँ नवम्बर 2021 तक पूर्ण कर ली जाएँ।
3.	खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ	
4.	वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	मार्च प्रथम सप्ताह 2022 (अधिकतम 04 कार्य दिवस)
आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीक्षाएँ		
1.	पूरक परीक्षा प्रारंभ	16.10.2021 से 23.10.2021
2.	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	30.10.2021
3.	तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	नवम्बर के अंतिम सप्ताह 2021
4.	छ:माही आंतरिक मूल्यांकन	फरवरी के अंतिम सप्ताह 2022
5.	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	21 मार्च 2022
6.	सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	01 मार्च से 25 मार्च 2022
7.	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	26 मार्च से 31 मार्च 2022
8.	वार्षिक परीक्षा प्रारंभ	01 अप्रैल 2022 से 21 मई 2022
9.	सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	30 जून 2022
अवकाश		
1.	दीपावली	दिनांक 01 नवम्बर से 06 नवम्बर 2021 तक (05 कार्य दिवस)
2.	ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु)	22.05.2022 से 30.06.2022 (कुल 40 दिवस)

- नोट :-1. स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाए।
2. कोरोना वायरस महामारी के चलते शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक से कम हो जाने के कारण महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक काल खण्डों की अवधि में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर शैक्षणिक कार्य दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समयानुसार हो जाये। साथ ही साथ ऑनलाईन अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाए।

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2021-22
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

(अ)	अवकाश एवं शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण	
1.	रविवार	52
2.	सामान्य अवकाश	18 कार्य दिवस
3.	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4.	दीपावली अवकाश	05 कार्य दिवस
5.	छात्रसंघ गठन/महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि	15 कार्य दिवस
	योग	93
(ब)	परीक्षा/ग्रीष्म अवकाश एवं अन्य अशैक्षणिक दिवस	
	कोविड 19 महामारी के कारण सत्र 2021-22 के प्रारंभ होने में विलम्ब के दिवस	51
1	परीक्षा पूर्व तैयारी	05 कार्य दिवस
2.	परीक्षा अवधि	38 कार्य दिवस
3.	ग्रीष्म अवकाश	34 कार्य दिवस
	योग	128 कार्य दिवस
(स)	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) $(93+128) = 221$	221 कार्य दिवस
(द)	कुल शैक्षणिक दिवस $(365-221) = 144$	144 शैक्षणिक कार्य दिवस

नोट- कोरोना वायरस महामारी के चलते शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक से कम हो जाने के कारण महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक काल खण्डों की अवधि में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर शैक्षणिक कार्य दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समयानुसार हो जावे। साथ ही साथ ऑनलाईन अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाऐ।

क्र.	कार का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		कुल दिवस	स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)		कुल दिवस
		दिनांक से	दिनांक तक		दिनांक से	दिनांक तक	
प्रथम चरण							
1	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना	01-08-2021	12-08-2021	12	01-08-2021	07-08-2021	07
	(ब) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (आवेदकों को सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	02-08-2021	14-08-2021	13	02-08-2021	09-08-2021	08
2	(अ) प्रथम चरण के सीट आवंटन पत्र जारी करना एवं कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना।	20-08-2021	-	06	14-08-2021	-	05
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना। (भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	20-08-2021	25-08-2021	06	14-08-2021	19-08-2021	06
	(स) प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रवेशित संस्थान द्वारा प्रवेश निरस्त कराना (प्रवेश निरस्तीकरण पश्चात विद्यार्थी पुनः विकल्प चयन कर ही आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।)	21-08-2021	25-08-2021	05	15-08-2021	19-08-2021	05
	(द) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना।	01-08-2021	25-08-2021	25	01-08-2021	19-08-2021	19
द्वितीय चरण							
3	(अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के पश्चात (द्वितीय चरण हेतु) रिक्त रह गये स्थानों की महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार/आरक्षण वर्गवार पोर्टल पर जानकारी।	27-08-2021 5:00 pm		02	21-08-2021 5:00 pm		02
	(ब) अपजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन तथा पूर्व से पंजीकृत एवं प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदकों द्वारा महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना।	28-08-2021	03-09-2021	07	22-08-2021	28-08-2021	07
	(स) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (छात्रों को सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन छात्रों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	29-08-2021	05-09-2021	08	23-08-2021	30-08-2021	08
4	(अ) द्वितीय चरण के सीट आवंटन पत्र जारी करना एवं कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना।	10-09-2021		05	06-09-2021		07
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना। (भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	10-09-2021	14-09-2021	05	06-09-2021	11-09-2021	06
	(स) प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रवेशित संस्थान द्वारा प्रवेश कराना (प्रवेश निरस्तीकरण पश्चात विद्यार्थी पुनः विकल्प चयन कर ही आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।)	11-09-2021	14-09-2021	04	07-09-2021	11-09-2021	05
	(द) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना।	28-08-2021	14-09-2021	18	22-08-2021	11-09-2021	21

सी.एल.सी. चरण							
5.	(अ) महाविद्यालयों में द्वितीय चरण के पश्चात् महाविद्यालयवार/ पाठ्यक्रमवार रिक्त सीटों की जानकारी (सभी सीटें अनारक्षित से होंगी)	16-09-2021		02	14-09-2021		03
	(ब) अपजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन तथा पूर्व से पंजीकृत एवं प्रवेश निरस्त करने वाले आवेदकों द्वारा महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम/ विषय समूह का विकल्प देना।	17-09-2021	22-09-2021	06	15-09-2021	20-09-2021	06
	(स) ऑनलाइन दरतापेजों का सत्यापन (आवेदकों को सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	18-09-2021	23-09-2021	06	16-09-2021	21-09-2021	06
	(द) सी.एल.सी. चरण की मेरिट सूची जारी करना।	26-09-2021		03	25-09-2021		04
	(य) 1. महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध मेरिट सूची में से पाठ्यक्रमवार रिक्त सीटों के आधार पर प्रतिदिन मध्यान्ह 12:00 बजे आवेदकों की मेरिट सूची जारी/एक्टिव करना। 2. आवेदक ई-प्रवेश पोर्टल पर अपने लॉगिन से विकल्प के महाविद्यालयों द्वारा एक्टिव किये गये पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन कर दूसरे दिवस मध्यान्ह 11:00 बजे तक ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। मध्यान्ह 12:00 बजे तक प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करने की दशा में आवेदक का नाम मेरिट सूची से विलोपित होगा। 3. महाविद्यालय प्रतिदिन मध्यान्ह 12:00 बजे मेरिट सूची को अद्यतन करेंगे एवं जिन आवेदकों ने निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनके स्थान पर मेरिट क्रम में नवीन आवेदकों को एक्टिव कर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगे।	26-09-2021	30-09-2021	05	25-09-2021	30-09-2021	06
	(र) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रीफोर्टिंग करना।	17-09-2021	30-09-2021	14	15-09-2021	30-09-2021	16

नोट :-

- ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति पश्चात् महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाईन पंजीकृत विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त कर प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 01.10.2021 से 10.10.2021 तक यह प्रक्रिया संचालित की जायेगी।
- विद्यार्थियों द्वारा प्रवेशित महाविद्यालय में विषय/संकाय परिवर्तन संबंधी कार्यवाही पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 11.10.2021 से 20.10.2021 तक यह प्रक्रिया संचालित की जायेगी।
- उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया :- कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/डुप्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

उपरोक्त समय - सारणी अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग, (प्राथमरी/मिडिल स्कूल) में कार्यरत शिक्षक केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वन-स्टेप-अप योजनांतर्गत पंजीयन तथा सत्यापन करवा कर विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question)

- प्रश्न 1** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) कहाँ करना होगा ?
- उत्तर** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन (Registration) करने हेतु एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल (<https://epravesha.mponline.gov.in>) पर क्लिक करें। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु Under Graduate Tab एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु Post Graduate Tab पर क्लिक करने के उपरांत पंजीयन फार्म की लिंक उपलब्ध होगी। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जानकारी उपरोक्त बोर्ड द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम से स्वतः सत्यापित हो जावेगी। जिससे अभ्यर्थी की जानकारी पंजीयन फार्म में भरी हुई दर्शित होगी।
- प्रश्न 2** बोर्ड चयन, रोल नम्बर व नाम भरने के बाद स्वतः भरी हुई सूचनाओं या अंकों में गलती पाई जाये तो क्या मैं सूचनाओं या अंकों को ठीक कर सकता हूँ ?
- उत्तर** अ. पंजीयन शुल्क भुगतान के पूर्व तक की स्थिति में आवेदक स्वतः भरी हुई सूचनाओं या अंकों में (रोल नंबर एवं नाम को छोड़कर) स्वयं संशोधन कर सकता है।
- ब. पंजीयन शुल्क भुगतान के पश्चात् आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) द्वारा फॉर्म अनलॉक करवाकर स्वयं/कियोस्क/महाविद्यालय के द्वारा संशोधन (रोल नंबर एवं नाम को छोड़कर) करवा सकता है। संशोधन पश्चात् पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
- प्रश्न 3** क्या पंजीयन फार्म में त्रुटि सुधार संभव है ?
- उत्तर** अ. पंजीयन शुल्क भुगतान से पूर्व :- हाँ। आवेदक अपने लॉगिन आई.डी से पंजीयन फार्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं।
- ब. पंजीयन शुल्क भुगतान के पश्चात् :- आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) द्वारा फॉर्म अनलॉक करवाकर स्वयं/कियोस्क/महाविद्यालय के द्वारा त्रुटि सुधार कर सकेगा। त्रुटि सुधार पश्चात् पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
- प्रश्न 4** पंजीयन करते समय किन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा ?
- उत्तर** पंजीयन के समय आवेदक को ई-सत्यापन हेतु स्वयं की फोटो के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) -
- (अ) अंक सूची-न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवी, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर
- (ब) जाति प्रमाण पत्र- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो
- (स) संवर्ग प्रमाण पत्र- (दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/ उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो
- (द) अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
- (मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.1 से 6.4.4 का अवलोकन करें)
- प्रश्न 5** च्याईस फिलिंग लॉक करने के पश्चात् च्याईस फिलिंग में परिवर्तन कैसे करें ?
- उत्तर** च्याईस फिलिंग लॉक करने के पश्चात् आवेदक हेल्प सेंटर के माध्यम से फॉर्म को अनलॉक करवाकर महाविद्यालय/स्वयं/कियोस्क के माध्यम से च्याईस फिलिंग में परिवर्तन कर सकता है।
- प्रश्न 6** क्या 10+2 में पूरक (Supplementary) प्राप्त विद्यार्थी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) के लिए पात्र होंगे?

- उत्तर कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी में अपने ऑनलाईन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्वाइस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाईन अपलोड करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।
- प्रश्न 7 आवेदन क्रमांक (Application ID) और पासवर्ड (Password) गुम/भूल जाने की स्थिति में कैसे वापस प्राप्त किया जा सकता है ?
- उत्तर आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध Know your Applicant id या Forget Your Password के द्वारा अपने आवेदन क्रमांक (Application ID) एवं पासवर्ड (Password) प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रश्न 8 क्या पंजीयन शुल्क भुगतान के समय पर ट्रांजेक्शन फेल (Transaction Fail) होने की स्थिति में दुबारा पंजीयन करवाना होगा ?
- उत्तर नहीं, आवेदक Fill/Pay Unpaid Registration Form Tab के द्वारा अपने पंजीयन आवेदन का पुनः शुल्क भुगतान कर सकते हैं।
- प्रश्न 9 पंजीकृत मोबाईल नम्बर (Registered Mobile Number) गुम हो जाने की स्थिति में ओ.टी.पी. कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
- उत्तर पंजीकृत मोबाईल नम्बर गुम हो जाने की स्थिति में आवेदक प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त में दिये गये ई-मेल आई.डी. पर मैसेज के द्वारा सूचित कर/नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर नया मोबाईल नंबर दर्ज कराने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
- प्रश्न 10 स्नातक अंतिम वर्ष/छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पंजीयन के समय कौन सी अंक सूची अपलोड करनी होगी ?
- उत्तर स्नातक अंतिम वर्ष/छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक स्नातकोत्तर स्तर में प्रावधिक प्रवेश हेतु केवल स्नातक द्वितीय वर्ष/पांचवें सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड करेंगे।
- प्रश्न 11 स्नातक अंतिम वर्ष/छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावीण्यता हेतु पंजीयन फार्म में कौन से प्राप्तांक/प्रतिशत दर्ज करना होगा ?
- उत्तर स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा।
- प्रश्न 12 मैंने प्रवेश के पूर्व चरणों में पंजीयन नहीं करवाया है क्या मैं सी.एल.सी.चरण हेतु नया पंजीयन करवा सकता हूँ ?
- उत्तर हाँ, आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी.चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- प्रश्न 13 पुनः वरीयता/विकल्प चयन हेतु क्या कोई शुल्क देय होगा ?
- उत्तर नहीं।
- प्रश्न 14 पंजीयन के समय आवेदक कितने महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का विकल्प चयन कर सकते हैं ?
- उत्तर सत्र 2021-22 में ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 7 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाइस फिलिंग) कर सकेंगे।

- प्रश्न 15 क्या एक ही महाविद्यालय में एक से अधिक पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकता है ?
उत्तर हाँ।
- प्रश्न 16 मेरी बारहवीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित है। योग्यता के विवरण खण्ड (Qualification Details) में प्रविष्टि किस प्रकार करूँ ?
उत्तर बारहवीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित होने पर योग्यता के विवरण खण्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू से ग्रेडिंग सिस्टम का चयन करें एवं अंकसूची में दर्शित ग्रेड को नियमानुसार प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रविष्टि करें।
- प्रश्न 17 अतिरिक्त विषय संबंधी जानकारी कब भरना होगा ?
उत्तर पंजीयन के समय आवेदन फार्म में योग्यता का विवरण खण्ड (Qualification Details Box) में अतिरिक्त विषय की जानकारी भरना होगा।
- प्रश्न 18 मैंने बारहवीं में मुख्य विषय गणित के साथ अतिरिक्त विषय बायोलॉजी, का भी अध्ययन किया है, जो अंक सूची में दर्शित है, मैं किस संकाय में आवेदन करने हेतु पात्र हूँ ?
उत्तर आवेदक को दोनों संकाय में प्रवेश हेतु पात्रता है। गणित मुख्य विषय के साथ प्राप्तांक के आधार पर पात्रता निर्धारित की जायेगी। बायोलॉजी अतिरिक्त विषय का लाभ लेने हेतु गणित के प्राप्तांक के स्थान पर बायोलॉजी के प्राप्तांक जोड़कर प्रतिशत की गणना की जायेगी।
- प्रश्न 19 स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आयु संबंधी क्या प्रावधान है ?
उत्तर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात् सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
- प्रश्न 20 मैंने सत्र 2018-19 में बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी, 02 वर्ष अंतराल (Gap) के बाद क्या मैं सत्र 2021-22 प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता हूँ ?
उत्तर हाँ। प्रवेश उपरान्त ऑनलाईन रिपोर्टिंग के समय आवेदक को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये अंतराल प्रपत्र (Gap profarma) को जमा करना होगा।
- प्रश्न 21 मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण की है, स्नातक प्रथम वर्ष में वाणिज्य/कला संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर गुणानुक्रम का निर्धारण किस प्रकार होगा ?
उत्तर स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर ही देय होगा।
- प्रश्न 22 10+2 परीक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थी कौन-कौन से विषय में प्रवेश के लिए पात्र होंगे ?
उत्तर :-

स.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव.विज्ञान समूह)(जीव.विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे-माइक्रोबायोलॉजी, बायोटैक्नॉलाजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि विषय)
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.1.6 का अवलोकन करें।

अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर उपलब्ध ऐलिजिबिलिटी Eligibility Tab द्वारा आवेदक पात्रता की जांच कर सकते हैं।

- प्रश्न 23** पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में पंजीयन किस प्रकार होगा ?
उत्तर ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा।
- प्रश्न 24** विश्वविद्यालय से पात्रता कब प्राप्त करनी होगी ?
उत्तर सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध Eligibility Tab द्वारा पाठ्यक्रम हेतु पात्रता की जांच करें, आवश्यक होने पर पंजीयन के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता हेतु ऑनलाईन आवेदन करें एवं ऑनलाईन आवेदन की रसीद पंजीयन के समय अनिवार्यतः अपलोड करें।
- प्रश्न 25** बी.सी.ए. में प्रवेश लेने हेतु पात्रता क्या होगी ?
उत्तर बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में होना अनिवार्य है।)
- प्रश्न 26** मैं पूर्व का हायर सेकेंड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदक हूँ, क्या प्रवेश पंजीयन हेतु पात्र हूँ ?
उत्तर मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेंड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- प्रश्न 27** एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता प्रतिशत क्या है ?
उत्तर एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता 45% है।
- प्रश्न 28** नामांकन प्रक्रिया क्या होगी ?
उत्तर स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाईन पंजीयन के समय ही ऑनलाईन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिवर्सिटी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी।
- प्रश्न 29** स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में क्या करना होगा ?
उत्तर ऑनलाईन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रवेश पश्चात् महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रश्न 30** जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है ?
उत्तर आवेदक का जाति प्रमाण पत्र डिजिटल न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जायेंगे।
- प्रश्न 31** मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूँ परन्तु 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है तो क्या मुझे मध्यप्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त होगा ?
उत्तर मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- प्रश्न 32** कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मैंने मध्यप्रदेश से उत्तीर्ण की है, क्या मुझे पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ?
उत्तर मध्यप्रदेश राज्य से दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- प्रश्न 23** पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में पंजीयन किस प्रकार होगा ?
उत्तर ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा।
- प्रश्न 24** विश्वविद्यालय से पात्रता कब प्राप्त करनी होगी ?
उत्तर सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध Eligibility Tab द्वारा पाठ्यक्रम हेतु पात्रता की जांच करें, आवश्यक होने पर पंजीयन के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता हेतु ऑनलाईन आवेदन करें एवं ऑनलाईन आवेदन की रसीद पंजीयन के समय अनिवार्यतः अपलोड करें।
- प्रश्न 25** बी.सी.ए. में प्रवेश लेने हेतु पात्रता क्या होगी ?
उत्तर बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में होना अनिवार्य है।)
- प्रश्न 26** मैं पूर्व का हायर सेकेंड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदक हूँ क्या प्रवेश पंजीयन हेतु पात्र हूँ ?
उत्तर मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेंड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- प्रश्न 27** एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता प्रतिशत क्या है ?
उत्तर एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता 45% है।
- प्रश्न 28** नामांकन प्रक्रिया क्या होगी ?
उत्तर स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाईन पंजीयन के समय ही ऑनलाईन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिवर्सिटी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी।
- प्रश्न 29** स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में क्या करना होगा ?
उत्तर ऑनलाईन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रवेश पश्चात् महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रश्न 30** जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है ?
उत्तर आवेदक का जाति प्रमाण पत्र डिजिटल न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जावेंगे।
- प्रश्न 31** मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूँ परन्तु 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है तो क्या मुझे मध्यप्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त होगा ?
उत्तर मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- प्रश्न 32** कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मैंने मध्यप्रदेश से उत्तीर्ण की है, क्या मुझे पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ?
उत्तर— मध्यप्रदेश राज्य से दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- प्रश्न 33** पंजीयन के समय दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने हेतु क्या करना होगा ?
- उत्तर** दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- प्रश्न 34** मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पाल्यों हेतु क्या प्रावधान है ?
- उत्तर** मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए समी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस श्रेणी का लाभ लेने हेतु पंजीयन के समय ही प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा जिसमें कर्मचारी क्रमांक (Employee Code) का उल्लेख हो।
- प्रश्न 35** मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आवेदक हूँ प्रवेश हेतु क्या लाभ प्राप्त होगा ?
- उत्तर** आर्थिक रूप से कमजोर-सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। इस हेतु "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (EWS) का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लाभ लेने हेतु पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।
- प्रश्न 36** अधिभार हेतु सत्र 2015-16 का प्रमाण पत्र उपलब्ध है क्या इसका लाभ प्राप्त होगा ?
- उत्तर** नहीं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2017-18 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2018-19 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- प्रश्न 37** मैं ऑनर्स से स्नातक उत्तीर्ण आवेदक हूँ, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने पर क्या कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा ?
- उत्तर** ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा।
- प्रश्न 38** मेरे पास एन.सी.सी./एन.एस.एस का 'ए' सर्टिफिकेट है क्या प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कोई लाभ प्राप्त होगा ?
- उत्तर** एन.सी.सी./एन.एस.एस के 'ए' सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों का 2 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा।
- प्रश्न 39** मैं एन.सी.सी./एन.एस.एस 'सी' सर्टिफिकेट धारी हूँ क्या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु कोई लाभ प्राप्त होगा ?
- उत्तर** एन.सी.सी./एन.एस.एस 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदकों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों का 4 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा।
- प्रश्न 40** स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर क्या कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा ?
- उत्तर** स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर प्राप्तांकों का 5 प्रतिशत अधिभार प्राप्त हो सकेगा।

- प्रश्न 41** दस्तावेजों का सत्यापन कहाँ होगा ?
उत्तर सत्र 2021-22 में सत्यापन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों (Help Centers) में ऑनलाईन सम्पन्न की जावेगी।
- प्रश्न 42** क्या दस्तावेजों के सत्यापन के पहले महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य है ?
उत्तर हाँ, दस्तावेजों के ई-सत्यापन के पहले महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य है।
- प्रश्न 43** ई-सत्यापन प्रक्रिया क्या होगी ?
उत्तर ई-सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय आवंटन अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म का सत्यापन, अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ई-सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा। आवेदक का फार्म ई-सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ई-सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रश्न 44** असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में क्या करना होगा ?
उत्तर यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त/अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ई-सत्यापन नहीं किया जा सकेगा। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से दी जावेगी। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार/पुनः सत्यापन करवा सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
- प्रश्न 45** प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर मुझे क्या करना होगा ?
उत्तर प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर द्वितीय/आगामी चरण में शामिल होने हेतु समय सारिणी अनुसार ऑनलाईन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।
- प्रश्न 46** सी.एल.सी आवेदन हेतु क्या महाविद्यालय जाने की आवश्यकता है ?
उत्तर नहीं। सत्र 2021-22 में ऑनलाईन सी.एल.सी प्रवेश प्रक्रिया होगी इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर कोई लिखित आवेदन नहीं लिये जायेंगे।
- प्रश्न 47** प्रथम चरण में मुझे प्रथम विकल्प (First Choice) का महाविद्यालय आवंटित हुआ परन्तु मैंने प्रवेश नहीं लिया, मुझे द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?
उत्तर यदि आवेदक को प्रथम चरण में प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुनः न भर दे।
- प्रश्न 48** मुझे द्वितीय विकल्प (Second Choice) का महाविद्यालय आवंटित हुआ और मैंने प्रवेश नहीं लिया तो मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?
उत्तर द्वितीय विकल्प (Second Choice) का महाविद्यालय आवंटित होने पर यदि प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो अगले चरण में शामिल होने हेतु पुनः ऑनलाईन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा।

- प्रश्न 49 प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त करवाने पर मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?
- उत्तर प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेश प्राप्त कर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को पूर्व में आवंटित पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन आई.डी.) के आधार पर ही आगामी चरण में प्रवेश हेतु पुनः वरीयता/विकल्प ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर ही आवेदक आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- प्रश्न 50 महाविद्यालय आवंटन की सूचना कैसे प्राप्त होगी क्या इस हेतु मुझे महाविद्यालय जाना होगा ?
- उत्तर आवंटन की सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को किसी भी महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। महाविद्यालय आवंटित होने की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त आवेदक ई प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय आवंटित होने /न होने की अद्यतन स्थिति स्वयं के आई.डी. पासवर्ड से भी जान सकते हैं।
- प्रश्न 51 प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त द्वितीय /आगामी चरण में शामिल होने हेतु पाठ्यक्रम/पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान (Vacancy) की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है ?
- उत्तर प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त द्वितीय/आगामी चरण में शामिल होने हेतु पाठ्यक्रम/पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान (Vacancy) की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर Vacancy Tab के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- प्रश्न 52 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में कक्षावार/वर्गवार कटऑफ की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ?
- उत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आवंटन के साथ ई प्रवेश पोर्टल पर विभिन्न महाविद्यालयों की कक्षावार/वर्गवार कट-ऑफ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- प्रश्न 53 रुक जाना नहीं योजना के आवेदकों हेतु प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी ?
- उत्तर ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रश्न 54 विषय चयन कब और कैसे करना है ?
- उत्तर कब – महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों को ऑनलाईन विषय चयन करना होगा।
कैसे – आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अभिरुचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यवसायिक विषय का चयन करना स्वैच्छिक होगा।
- प्रश्न 55 योजना का चयन कब और कैसे करना है ?
- उत्तर कब – ऑनलाईन प्रवेश शुल्क भुगतान करते समय योजना का चयन करना होगा।

- प्रश्न 49** प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त करवाने पर मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?
- उत्तर** प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेश प्राप्त कर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को पूर्व में आवंटित पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन आई.डी.) के आधार पर ही आगामी चरण में प्रवेश हेतु पुनः वरीयता/विकल्प ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर ही आवेदक आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- प्रश्न 50** महाविद्यालय आवंटन की सूचना कैसे प्राप्त होगी क्या इस हेतु मुझे महाविद्यालय जाना होगा ?
- उत्तर** आवंटन की सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को किसी भी महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। महाविद्यालय आवंटित होने की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त आवेदक ई प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय आवंटित होने /न होने की अद्यतन स्थिति स्वयं के आई.डी. पासवर्ड से भी जान सकते हैं।
- प्रश्न 51** प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त द्वितीय /आगामी चरण में शामिल होने हेतु पादयक्रम/पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान (Vacancy) की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है ?
- उत्तर** प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त द्वितीय/आगामी चरण में शामिल होने हेतु पादयक्रम/पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान (Vacancy) की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर Vacancy Tab के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- प्रश्न 52** ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में कक्षावार/वर्गवार कटऑफ की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ?
- उत्तर** ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आवंटन के साथ ई प्रवेश पोर्टल पर विभिन्न महाविद्यालयों की कक्षावार/वर्गवार कट-ऑफ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- प्रश्न 53** रुक जाना नहीं योजना के आवेदकों हेतु प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी ?
- उत्तर** ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पादयक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रश्न 54** विषय चयन कब और कैसे करना है ?
- उत्तर** कब - महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों को ऑनलाईन विषय चयन करना होगा।
कैसे - आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अभिरुचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यवसायिक विषय का चयन करना वैकल्पिक होगा।
- प्रश्न 55** योजना का चयन कब और कैसे करना है ?
- उत्तर** कब - ऑनलाईन प्रवेश शुल्क भुगतान करते समय योजना का चयन करना होगा।

कैसे – आवेदक पात्रतानुसार ऑनलाईन पोर्टल पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में से किसी एक योजना का बटन क्लिक कर निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 56 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है ?

उत्तर यह योजना केवल स्नातक स्तर पर प्रदान की जावेगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक है कि आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदक के पिता/पालक की वार्षिक आय छः लाख रुपये से कम हो। आवेदक ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

प्रश्न 57 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है ?

उत्तर यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी। विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र.शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

प्रश्न 58 प्रवेश शुल्क भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल (Transaction Fail) होने की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

प्रश्न 59 प्रवेश शुल्क भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है ?

उत्तर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपी.आई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।

प्रश्न 60 क्या प्रवेश के समय ही प्रवेश शुल्क की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा ?

उत्तर कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को ऑनलाईन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त राशि रुपये 1,000/- ऑनलाईन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया मार्गदर्शिका कण्डिका 13.1, 13.2 एवं 13.3 के अनुसार होगी।

प्रश्न 61 प्रवेश शुल्क भुगतान पश्चात् महाविद्यालय में कब उपस्थित होना होगा ?

उत्तर कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/डुप्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

- प्रश्न 62** सर्टिफिकेट कोर्स की चयन प्रक्रिया क्या होगी ?
उत्तर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
- प्रश्न 63** हितग्राही योजना परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है ?
उत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।
- प्रश्न 64** प्रवेश पश्चात् विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी ?
उत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जायेगी, निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/ पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी।
- प्रश्न 65** क्या स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया होगी ?
उत्तर सत्र 2021-22 में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी, महाविद्यालय द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रमोट किया जाएगा, तत्पश्चात् विद्यार्थी ई-प्रवेश पोर्टल पर नामांकन क्रमांक दर्ज कर फीस भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

de
15/07/21

महाविद्यालय के महत्वपूर्ण पदाधिकारी

अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति : जिलाधीश, ग्वालियर जिला

प्राचार्य – डॉ. मंजू दुबे

अकादमिक सचिव	डॉ. संजय स्वर्णकार
परीक्षा नियंत्रक	डॉ. आर.सी.उपाध्याय
प्रशासनिक अधिकारी (अधिकारी संवर्ग)	डॉ. बी.एम.कुलश्रेष्ठ
प्रशासनिक अधिकारी (कर्मचारी संवर्ग)	डॉ. सूरजभान प्रजापति
संकायध्यक्ष कला संकाय	डॉ. सविता श्रीवास्तव
संकायध्यक्ष विज्ञान संकाय	डॉ. शैलेन्द्र सिंह तोमर
संकायध्यक्ष वाणिज्य संकाय	डॉ. हरीशकुमार अग्रवाल
संकाय गृहविज्ञान संकाय	डॉ. मंजू दुबे
छात्रावास वार्डन	डॉ. ऊषा सिंह, डॉ. सुधा सिंह
छात्र संघ प्रभारी	डॉ. स्मिता सहस्रबु
समय सारिणी प्रभारी	डॉ. इला शुक्ला
छात्रवृत्ति प्रभारी	डॉ. पूर्णिमा शाह
प्रभारी, एंटी रेंगिंग	डॉ. एन. के. नगाईच
प्रभारी, अनुशासन समिति	डॉ. मधुलक्ष्मी शर्मा
एन. सी. सी. अधिकारी	डॉ. अर्चना कुशवाह, डॉ. अंजू यादव
एन.एस.एस अधिकारी	डॉ. वीणा शुक्ला, डॉ. कल्पना शर्मा, डॉ. लता मिश्रा
रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी	डॉ. सोनिया सिंह
कौशल विकास प्रकोष्ठ प्रभारी	डॉ. प्रीतिबाला श्रीवास्तव
प्लेसमेंट ऑफीसर	डॉ. संतोष यादव
व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ प्रभारी	डॉ. मीना श्रीवास्तव
सांस्कृतिक प्रभारी	डॉ. स्मिता सहस्रबु
साहित्यिक प्रभारी	डॉ. उर्मिला सिंह तोमर
महाविद्यालय पत्रिका प्रभारी	डॉ. के.के. शर्मा

शार्ट टर्म कोर्सेस प्रभारी	डॉ. कुमार रतनम
समन्वयक कम्प्यूटर साईंस	डॉ. बी.बी सिंह
समन्वयक बायोटेक्नोलॉजी	डॉ. संतोष यादव
समन्वयक माइक्रोबायोलॉजी	डॉ. साधना पा.डेय
समन्वयक पर्यावरण	डॉ. मधुलमी शर्मा
समन्वयक प्रबंध	डॉ. वी.के. अग्रवाल
समन्वयक विधि संस्थान	डॉ. चारु चित्रा
ग्रंथपाल	श्री मनोहर कटारिया
सी,एम हेल्पलाईन, जनसुनवाई प्रभारी	डॉ.बी.एम. कुलश्रेष्ठ
कार्यालय प्रमुख	श्री गोविंद सिंह दोहरे
छात्रावास मैनेजर प्रभारी	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ठाकुर
लेखापाल, प्रभारी	श्री अविनाश स्वर्णकार
स्टोर प्रभारी	डॉ. माला दुबे

प्रवेश समितियों के संयोजक

कक्षा	संयोजक	मोबाइल
स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (विज्ञान एवं गृह विज्ञान)	डॉ. राजेन्द्रकुमार दुबे,	8370060051
स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (वाणिज्य)	डॉ. हरीशकुमार अग्रवाल,	9827354320
स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (कला एवं समाज विज्ञान)	डॉ. स्मिता सहस्रबुद्धे,	9425407693
स्नातक प्रथम सेमेस्टर (बी.एस.सी., बायो., बायोटेक, माइक्रो बायोलॉजि, बायोइंफोर्मेटिक्स, गृह विज्ञान, औद्योगिक रसायन)	डॉ. मंजू दुबे,	9425132777
स्नातक प्रथम सेमेस्टर (बी.एस.सी. गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर साइंस), (बी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए.)	डॉ. हरपाल सिंह चौहान	
स्नातक प्रथम सेमेस्टर (बी.ए., एलएल.बी.)	डॉ. जयश्री चौहान,	9993939455
स्नातक प्रथम सेमेस्टर (बी.कॉम., बी.कॉम. विथ कम्प्यूटर बी.बी.ए.)	डॉ. विपिनकुमार बंसल,	9425121113
हेल्प सेंटर	डॉ. ऊषा सिंह,	9425120420
समन्वयक	डॉ. बी.एम. कुलश्रेष्ठ,	9425710992
	डॉ. बी.बी. सिंह,	9425338357
प्रवेश निगरानी प्रकोष्ठ	डॉ. प्रभा मेहता,	9425735766
	डॉ. कुमार रतलम,	94253380280
	डॉ. वीणा शुक्ला,	9425778260
आई.टी. नोडल अधिकारी	डॉ. साधना पाण्डेय,	9425753523
	डॉ. चारु कटारे,	9479914382
	डॉ. चारु चित्रा,	9329307303
अकादमिक परामर्शदाता	डॉ. संजय स्वर्णकार,	9301116371

महाविद्यालय स्टाँफ सूची

Deptt. of Hindi

1. Dr. Urmila Singh Tomar
2. Dr. Ila Shukla
3. Dr Alka Morya
4. Dr. Krishna Singh
5. Dr. Kalpna Sharma
6. Dr. Abha Mishra
7. Dr. Namita Tripathi
8. Dr. Sudha Kushwah

Deptt. of Sanskrit

1. Dr. Krishna Jain
2. Dr Asha Singh Rawat

Deptt. of English

1. Dr. Savita Shrivastava
2. Dr. P. K. Sharma
3. Dr. Alka Singh
4. Dr. Charu Chitra
5. Dr. Lata Mishra
6. Dr. Veena Lad
7. Dr. Preeti Shrivastava
8. Dr. Soniya Singh

Deptt. of Philosophy

1. Dr. Dinesh Patidar

Urdu

1. Dr Waseem Ansari
2. Shri Qamruzzaman Siddiqui

Deptt. of Botany

1. Dr. Madhu Laxmi Sharma
2. Dr. Preeti Kulshreshtha
3. Dr. Sadhna Pandey

Deptt. of Chemistry

1. Dr. Vinita Agrawal
2. Dr. Pratima Jain
3. Dr Anil Kumar Sharma
4. Dr. Kiran Burman
5. Dr. Deepak Pathak
6. Dr Gajendra Pal Chak
7. Dr. Anand Singh
8. Shri R. B. Raipuriya

Deptt. of Physics

1. Smt. Minali Gokhle
2. Dr. Sukriti Ghosh

Deptt. of Marathi

1. Dr Sangeeta Somvanshi

Deptt. of Zoology

1. Dr Rajendra Kumar Dubey
2. Dr. Archana Dubey
3. Dr R K Mahor
4. Smt. Preeti Mourya
5. Dr. Mohit Arya
6. Shri Santosh Kumar Yadav

Deptt. of Psychology

1. Dr. N.K. Nagaich

Deptt. of Geography

1. Dr Shelendra Singh Tomar
2. Dr D P Singh
2. Dr. Abha Varshney

Deptt. of Painting

1. Dr. Jaya Jain
2. Dr. Kumkum Mathur
3. Dr. Anshuman Soni

Deptt. of Economics

- 1 Dr Meera Mittal
- 2 Dr. Anju Yadav
- 3 Dr Nisha Mishra
- 4 Dr Archana Dubey

Deptt. of Mathematics

- 1 Dr Harpal Singh
- 2 Dr. Raghvendra Sharma
- 3 Dr. Arvind Yadav
- 4 Dr N K Gautam

Librarian

Shri Raghvendra Tripathi

Deptt. of Home Science

- 1 Dr Manju Dubey
- 2 Dr. Shailja Jain
- 3 Dr. Charu Katare
- 4 Dr. Amita Tiwari
- 5 Dr. Charanjit Kaur
- 6 Dr. Purnima Shah

Deptt. of History

- 1 Dr. Meena Shrivastava
- 2 Dr Madhubala Kulsherth
- 3 Dr. Sanjay Swarkar
- 4 Dr Brijesh Kumar Gupta
- 5 Smt Neha Gupta
- 6 Dr Seema Pawak

Deptt. of Music

- 1 Dr. Smita Sahastrabuddhe
- 2 Dr. Atul K. Gupta
- 3 Dr. Ku. Jyotsna Rana
- 4 Sh. Anup Moghe
- 5 Dr Swapna Marathe

Deptt. of Pol. Sc.

- 1 Dr Anupam Gupta
- 2 Dr. Kavita Agrawal
- 3 Dr. Shishir Kumar
- 4 Dr. Sudha Singh
- 5 Dr. Dineah Kumar Singh

Deptt. of Commerce

- 1 Dr. Harish Agrawal
- 2 Dr. R.C. Upadhyay
- 3 Dr. P.K. Bansal
- 4 Dr V K Agrawal
- 5 Dr V.K. Bansal
- 6 Dr. Surajbhan Prajapati

सूचना का अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं 19 (1) के अन्तर्गत निम्नानुसार अपीली अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

1. लोक सूचना अधिकारी : डॉ. के.एस. सेंगर, प्राचार्य
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी
 डॉ. संजय स्वर्णकार, प्राध्यापक
 डॉ. स्वप्ना मराठे, सहायक प्राध्यापक
 डॉ. अनूप मोघे, सहायक प्राध्यापक
 डॉ. कुमकुम माथुर, प्राध्यापक
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, चम्बल-ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

नोट : उक्त एक्ट की धारा 6(1) के अनुसार आवेदक को रु. 10.00 आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यदि आवेदक दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहता है तो रु. 50.00 प्रति घण्टा एवं दस्तावेजों की प्रति चाहता है जो उन दस्तावेजों पर आने वाला व्यय देना होगा। आवेदन के निपटारा हेतु 30 दिवस की समय सीमा एक्ट की धारा 7(1) के अनुसार निर्धारित की गयी।

सिटीजन चार्टर

कार्य का विवरण गतिविधि स्कीम	प्रभारी अधिकारी	कार्य समापन की समय सीमा	कार्य सम्पन्न न होने पर अधिकारी जहा शिकायत करनी है	शिकायत निवारण की समय सीमा
सभी प्रकार की धन वापिसी	महाविद्यालय के प्राचार्य	एक सप्ताह	अति. संचालक उच्च शिक्षा, ग्वालियर	15 दिवस
महाविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन पर निर्णय	महाविद्यालय के प्राचार्य	एक सप्ताह	अति. संचालक उच्च शिक्षा, ग्वालियर	15 दिवस
छात्रवृत्ति की स्वीकृति	महाविद्यालय के प्राचार्य	31 अक्टूबर तक	अति. संचालक उच्च शिक्षा, ग्वालियर	15 दिवस
छात्रवृत्ति का भुगतान	महाविद्यालय के प्राचार्य	आवंटन तिथि से 15 दिवस	अति. संचालक उच्च शिक्षा, ग्वालियर	07 दिवस
पुस्तकों का निर्गमन	महाविद्यालय के प्राचार्य	31 अगस्त तक या आवेदन प्राप्ति के 1 माह के अंदर	अति. संचालक उच्च शिक्षा, ग्वालियर	



Autonomy



Computer Science



Computer Science



Garden-1



Garden-2



(Career Fair)



(Collector of Gwalior in Career Fair)



(Workshop on Research Methodology)



(Alumni Meet)



(Health Check Camp)



(Workshop on Classical Songs) (Workshop on Career Advancement)



(Open Feedback Session)



(Computer Application Training)



(Sports Activities)



(Career Fair)



(Sports Activities)



(Workshop on Dance)



(Workshop on RUSA)



(Cleanliness Drive in the Campus)